

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, दिनांक 25 नवंबर, 2021

क्रमांक एफ 4-12/2021/29-1/

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त,
छत्तीसगढ़
2. समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय:- खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन विषयक ।

राज्य शासन द्वारा विगत वर्षों की भांति खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित एकसमान विनिर्दिष्टियों (Uniform specifications) के अनुसार प्रदेश के किसानों से धान एवं मक्का का उपार्जन किये जाने का निर्णय लिया गया है । खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान एवं मक्का उपार्जन की नीति निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

1. समर्थन मूल्य -

भारत सरकार के पत्र दिनांक 16.06.2021 द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए औसत अच्छी किस्म (एफ.ए.क्यू) के धान एवं मक्का के उपार्जन के लिए निर्धारित निम्नानुसार समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का का उपार्जन किया जावे -

| | | |
|-------------|---|-------------------------|
| धान कॉमन | - | रूपए 1940 प्रति क्विंटल |
| धान ग्रेड ए | - | रूपए 1960 प्रति क्विंटल |
| मक्का | - | रूपए 1870 प्रति क्विंटल |

भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 हेतु धान, मक्का एवं चावल के लिए निर्धारित एकसमान विनिर्दिष्टियों की छायाप्रति परिशिष्ट- 1 पर संलग्न है ।

2. उपार्जन की समयावधि -

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के किसानों से धान की नगद व लिकिंग में खरीदी दिनांक 1 दिसंबर, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक की जावेगी । समर्थन मूल्य पर कृषकों से मक्का की खरीदी दिनांक 1 दिसंबर, 2021 से 28 फरवरी, 2022 तक की जावेगी ।

3. प्रति एकड़ खरीदी निर्धारण -

खरीफ वर्ष 2021-22 में प्रदेश के किसानों से धान खरीदी की अधिकतम सीमा 15 क्विंटल प्रति एकड़ लिकिंग सहित निर्धारित की जाती है । खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में मक्का खरीदी की अधिकतम सीमा 10 क्विंटल प्रति एकड़ लिकिंग सहित निर्धारित की जाती है ।

4. उपार्जन एजेंसी -

- 4.1. राज्य के समस्त जिलों में धान का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) द्वारा एवं मक्का का उपार्जन छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जावेगा ।
- 4.2. धान एवं मक्का का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा मात्र प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं लेम्पस के माध्यम से किया जावेगा । धान उपार्जन केवल उन्हीं प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं लेम्पस के माध्यम से किया जावेगा जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम में भाग लेंगी । प्रत्येक धान उपार्जन केन्द्र के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं खाद्य विभाग के निर्देशानुसार सहकारी समितियों को कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था धान उपार्जन प्रारंभ होने के पूर्व करनी होगी ।
- 4.3. यह सुनिश्चित किया जावे कि धान उपार्जन के कार्य में नियोजित सहकारी समितियों एवं राज्य की धान एवं मक्का उपार्जन हेतु अधिकृत एजेंसी के मध्य अनुबंध निष्पादित किया जावे ताकि अनावश्यक विवाद की स्थिति निर्मित न हो ।
- 4.4. प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं लेम्पस को छोड़कर अन्य संस्था/समिति को किसी भी परिस्थिति में राज्य शासन अथवा कलेक्टर द्वारा समर्थन मूल्य पर धान अथवा मक्का की खरीदी हेतु अधिकृत नहीं किया जाएगा ।
- 4.5. खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान की खरीदी विगत खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में संचालित 2311 खरीदी केन्द्रों में एवं खरीफ वर्ष 2021-22 में प्रारंभ किये गये नवीन खरीदी केन्द्रों में की जाएगी । खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में प्रारंभ किये गये नवीन खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं समयानुसार कर ली जावे ।
- 4.6. प्रदेश में 48 मंडियों एवं 76 उपमंडियों (परिशिष्ट-2) के प्रांगण का उपयोग विगत खरीफ विपणन वर्ष अनुसार धान उपार्जन केन्द्र हेतु किया जाएगा । यथासंभव कलेक्टर से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर इसमें बढ़ोत्तरी की जा सकेगी ।
- 4.7. राज्य की मंडियों को नियमानुसार देय मंडी शुल्क, निराश्रित शुल्क का भुगतान उपार्जन एजेंसी द्वारा किया जावेगा ।

5. उपार्जन की अनुमानित मात्रा -

खरीफ वर्ष 2021-22 में राज्य के किसानों से समर्थन मूल्य पर 105 लाख मेट्रिक टन धान एवं 5000 मेट्रिक टन मक्का का उपार्जन अनुमानित है । जिलेवार धान के अनुमानित उपार्जन की जानकारी का पत्रक परिशिष्ट-3 पर संलग्न है । धान एवं मक्का खरीदी कार्य पूर्ण होने पर उपार्जित मात्रा की वास्तविक जानकारी ज्ञात हो सकेगी एवं तदनुसार निराकरण की कार्ययोजना परिवर्तनीय होगी ।

6. साख-सीमा की व्यवस्था -

धान एवं मक्का के उपार्जन हेतु आवश्यक साख-सीमा की व्यवस्था राज्य शासन के निर्देशानुसार क्रमशः छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा की जावेगी ।

7. उपार्जन की प्रक्रिया -

- 7.1 खरीफ वर्ष 2020-21 की भांति खरीफ वर्ष 2021-22 में भी सहकारी समितियों द्वारा संचालित निकटस्थ उपार्जन केन्द्र में राज्य के किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का का विक्रय किया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित गांव को उस समिति के धान उपार्जन केन्द्र के साथ साफ्टवेयर में जोड़ा जाना आवश्यक होगा जिसमें उन्हें धान विक्रय की अनुमति दी जानी है। अतः आपके जिले के जिन गांवों को निकटस्थ उपार्जन केन्द्रों से जोड़ा जाना है, इसकी कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाए तथा सभी ग्रामों में इसका प्रचार-प्रसार कर दिया जाये।
- 7.2 भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप धान एवं मक्का का उपार्जन कृषकों से ऋण पुस्तिका के आधार पर ही किया जावेगा तथा कय मात्रा का इन्द्राज संबंधित समिति के प्रबंधक/अधिकृत कर्मचारी द्वारा अनिवार्य रूप से उसकी ऋण पुस्तिका में किया जावेगा। अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि सभी किसानों के पास ऋण पुस्तिका उपलब्ध हो, यदि किसी किसान की ऋण पुस्तिका बैंक/अन्य संस्थाओं के पास रखी हो तो उसे डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका उपलब्ध कराई जावे।
- 7.3 अधिया/रेगहा के माध्यम से उत्पादित धान उपार्जन केन्द्रों में विक्रय के लिए लाने वाले किसानों द्वारा भूमि की ऋण पुस्तिका लानी होगी तथा उसमें इन्द्राज किया जाएगा। इसके साथ ही स्वयं का वचन पत्र तथा भूमि स्वामी का सहमति पत्र भी उपार्जन केन्द्रों में प्रस्तुत करना होगा। सभी खरीदी केन्द्रों में ऐसी खरीदी के आंकड़ों को पृथक रूप से संधारित किया जावे।
- 7.4 समितियों द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक (शासकीय अवकाश के दिवसों को छोड़कर) धान खरीदी की जायेगी तथा प्रत्येक शनिवार को क्रय किये गये धान की मात्रा, बारदानों का उपयोग तथा समिति को धान उपार्जन हेतु प्राप्त राशि के व्यय की पुष्टि धान खरीदी सॉफ्टवेयर में करना अनिवार्य होगा।
- 7.5 प्रदेश में बीज उत्पादक कृषकों का बीज, बीज निगम द्वारा उपार्जित करने हेतु बीज प्रमाणीकरण संस्था से धान बीज की शुद्धता एवं अंकुरण की जांच/परीक्षण करायी जाती है। उक्त जांच/परीक्षण में जिन कृषकों के धान बीज फेल हो जाते हैं, उसे औसत अच्छे किस्म का होने पर समर्थन मूल्य पर क्रय किया जावेगा। चूंकि परीक्षण के कार्य में समय लगता है, इसलिए धान बीज का समर्थन मूल्य पर चिन्हंकित खरीदी केन्द्रों में इन किसानों से बीज निगम के प्रमाण पत्र के आधार पर उपार्जन दिनांक 01 मार्च, 2022 से 31 मई, 2022 तक किया जावे।
- 7.6 लिफ्टिंग योजना के अंतर्गत विगत खरीफ वर्ष की भांति खरीफ वर्ष 2021-22 में भी मात्र प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण प्राप्त कृषकों से ही लिफ्टिंग योजना के अंतर्गत धान का कय किया जा सकेगा।
- 7.7 जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के लेनदारों की सूची व अवशेष ऋण का इन्द्राज कम्प्यूटर में किया जाए। संबंधित किसान द्वारा धान की उपज उपार्जन केन्द्र में लाये जाने पर उसके द्वारा लायी गई कुल उपज का अधिकतम 25 प्रतिशत ही लिफ्टिंग में जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक हेतु खरीदा जा सकता है।



- 7.8 विगत वर्ष की भांति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा समितियों को धान खरीदी हेतु अग्रिम राशि प्रदाय की जावे जिससे किसानों को समय से भुगतान प्राप्त हो सके । समितियों को प्रदान की जाने वाली राशि सीधे, सहकारी बैंक में उनके बैंक खाते में, अंतरित कर प्रदाय करने की व्यवस्था की जाए । जिले में समितियों को राशि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के माध्यम से दिया जाना है या मार्कफेड द्वारा सीधे दी जानी है, इसके निर्धारण के लिये कलेक्टर अधिकृत होंगे । किसानों के खाते में राशि का भुगतान पी.एफ.एम.एस. सिस्टम के माध्यम से की जावेगी ।
- 7.9 छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा समितियों को मक्का खरीदी हेतु अग्रिम राशि प्रदाय की जावे जिससे किसानों को समय से भुगतान प्राप्त हो सके । समितियों को प्रदान की जाने वाली राशि सीधे, सहकारी बैंक में उनके बैंक खाते में, अंतरित कर प्रदाय करने की व्यवस्था की जाए । जिले में समितियों को राशि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के माध्यम से दिया जाना है या नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा सीधे दी जानी है, इसके निर्धारण के लिये कलेक्टर अधिकृत होंगे । खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में मक्का खरीदी की राशि का समस्त भुगतान कृषकों के खाते में डिजिटल मोड से किया जावे ।
- 7.10 खरीदी केन्द्रों में धान एवं मक्का के नियंत्रित एवं व्यवस्थित रूप से उपार्जन हेतु किसानों को टोकन जारी कर धान एवं मक्का की खरीदी की जावे । धान/मक्का खरीदी अवधि का पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जावे ताकि किसान उक्त अवधि के दौरान अपना धान/मक्का लाकर विक्रय कर सके । धान/मक्का खरीदी के अंतिम दिन पर्यन्त जारी नहीं की जावे । धान/मक्का खरीदी के अंतिम दिन शाम 5 बजे तक जो धान/मक्का खरीदी केन्द्र में विक्रय हेतु आयेगा उसे उसी दिन तौल कर खरीदी की जावेगी ।
8. बारदानों की व्यवस्था -
- 8.1 खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में भारत शासन की नवीन बारदाना नीति अनुसार धान उपार्जन एवं चावल जमा करने हेतु बारदाने की आवश्यक व्यवस्था की जावे । खाद्य विभाग, भारत सरकार की नवीन बारदाना नीति संबंधी जारी पत्र क्रमांक 15-8/2004-Py.III (Pt.) दिनांक 18 मई, 2017 की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है । नवीन नीति अनुसार धान की खरीदी शतप्रतिशत नये बोरो में करने के बजाय, 50 : 50 के अनुपात में नये एवं पुराने बोरो में की जावेगी । नये जूट बोरे उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कमी की पूर्ति Used Gunny Bags से करते हुए अनुपात बनाये रखा जाए ।
- 8.2 धान की भरती हेतु आवश्यक नये जूट बारदाने, जूट कमिश्नर से कय कर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा जिलों को आवश्यकतानुसार संख्या में उपलब्ध कराये जावेंगे । कोरोना महामारी के कारण जूट बारदाने आवश्यकतानुसार प्राप्त नहीं होने के कारण उसकी कमी की पूर्ति Used Gunny Bags (पीडीएस बारदाने) से की जाएगी । Used Gunny Bags में धान एवं कस्टम मिलिंग चावल दोनों का उपार्जन किया जा सकेगा ।
- 8.3 Used Gunny Bags की व्यवस्था विगत खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 अनुसार की जावे । स्टेंसिल लगाने, स्टेकिंग करने, रिकार्ड बनये रखने, क्लेम करने का उत्तरदायित्व उपार्जन एजेंसियों यथा समिति, मार्कफेड एवं चावल उपार्जन एजेंसी का होगा । उक्त बारदानों को पलटी कर एवं सही तरीके से निर्धारित नीला रंग में स्टेंसिल किया जावे एवं बारदाने में " Used bag allowed for KMS 2021-22 " का स्टेंसिल लगाया जावे । Used Gunny Bags की व्यवस्था के संबंध में विपणन संघ द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जावे ।



- 8.4 मार्कफेड के पास गत खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के उपलब्ध नये जूट बारदानों का उपयोग खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान उपार्जन हेतु किया जायेगा । मार्कफेड द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि गत खरीफ विपणन वर्ष के उपलब्ध सभी नये जूट बारदाने का उपयोग खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान खरीदी हेतु हो जावे ।
- 8.5 पुराने बारदाने की कमी की पूर्ति हेतु धान खरीदी के लिए आवश्यकतानुसार नये HDPE/PP बारदाने की व्यवस्था विपणन संघ द्वारा जैम पोर्टल के माध्यम से कय कर की जावेगी । नये HDPE/PP बारदाने में धान कय करने के पश्चात मिलर के पास बचत HDPE/PP बारदाने के संबंध में पृथक से दिशा-निर्देश जारी किये जावेंगे । HDPE/PP बारदाने के संबंध में खाद्य विभाग भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देश परिशिष्ट-5 एवं परिशिष्ट-6 पर संलग्न है ।
- 8.6 पुराने बोरो की व्यवस्था सभी प्रदायकर्ताओं यथा मिलर, शासकीय उचित मूल्य दुकान (समिति एवं अन्य), खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग में उपयोग किये गये पुराने बारदाने, कृषक आदि से की जावे । पुराने बोरो की व्यवस्था पीडीएस के बारदानों, मिलर के पास गत खरीफ विपणन वर्षों के उपलब्ध बारदानों एवं धान खरीदी के दौरान कृषक द्वारा उपलब्ध कराये गये जूट बारदानों से की जावे । पुराने बोरो का धान खरीदी में उपयोग किये जाने पर भारत शासन द्वारा निर्धारित उपयोगिता शुल्क का भुगतान किया जावेगा । पुराने बारदाने के उपयोगिता शुल्क भुगतान के संबंध में खाद्य विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश पत्र क्रमांक 15(8)/2004-Py.III (Pt.) दिनांक 05 अक्टूबर, 2017 एवं 15-14/2018-Py.III दिनांक 13 दिसंबर, 2018 की प्रति क्रमशः परिशिष्ट-7 एवं परिशिष्ट-8 पर संलग्न है ।
- 8.7 धान खरीदी हेतु किसानों से प्राप्त पुराने जूट बारदानों का उपयोग धान खरीदी कार्य प्रारंभ होने की तिथि से ही किया जा सकता है ।
- 8.8 खरीफ वर्ष 2021-22 में पुराने जूट बारदाने की दर 18 रुपये प्रति नग निर्धारित की जाती है ।
- 8.9 मक्का की खरीदी पुराने बारदानों (पीडीएस/कृषक/खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग में उपयोग किये गये बारदानों) में किया जावे । पुराने बारदाने की राशि का भुगतान पुराने बारदाने हेतु निर्धारित दर अनुसार ही की जावे ।
- 8.10 पुराने बारदानों के आंतरिक परिवहन हेतु प्रदायकर्ताओं (मिलर/समिति/विपणन संघ आदि) को परिवहन शुल्क प्रदान किया जावे । भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने पर 'अतिरिक्त व्यय' मद से भुगतान हेतु शामिल किया जावे ।
- 8.11 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा कय बारदानों की प्राप्ति निर्धारित रोक पाइंट एवं सड़क मार्ग पर की जाकर उसे धान खरीदी केन्द्रों तक पहुंचाने की समस्त व्यवस्था की जावेगी ।
- 8.12 संपूर्ण धान खरीदी अवधि के दौरान जिलों में बारदानों की पर्याप्त आपूर्ति के संबंध में कलेक्टर्स सतत निगरानी रखेंगे, ताकि धान उपार्जन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो ।
- 8.13 धान उपार्जन हेतु जूट कमिश्नर से क्रय कर प्रदाय किए गए नये बारदानों की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए एवं निम्न गुणवत्ता के बारदाने किसी भी गठान में पाए जाने पर तत्काल विभाग एवं प्रबंध संचालक, मार्कफेड को अवगत कराया जाए, ताकि प्रदाय एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके । निम्न गुणवत्ता के बारदानों का उपयोग नहीं किया जाए । इन्हें अलग से रख लिया जाए जिससे निम्न गुणवत्ता के बारदाने प्रदाय एजेंसी को वापस किए जा सकें ।
यह व्यवस्था नये HDPE/PP बारदाने के संबंध में भी लागू होगी ।



- 8.14 जिले में यदि पुराने बारदाने उपलब्ध हों तो उन्हें अलग से भण्डारित किया जाए एवं नए बारदानों को अलग गोदामों में भण्डारित किया जाए, ताकि दोनों प्रकार के बारदानों की संख्या एवं लेखों का पृथक रूप से संधारण हो सके ।
- 8.15 समितियों में धान उपार्जन हेतु प्रयुक्त नए बारदानों पर समिति का नाम, पंजीयन नंबर एवं धान की किस्म की छपाई अनिवार्य रूप से की जावे । यह कार्य समितियों को उपलब्ध कराये जा रहे प्रासंगिक व्यय में से स्थानीय स्तर पर की जावे । इससे समितियों द्वारा उपार्जित धान की मात्रा, किस्म एवं गुणवत्ता की पहचान सुनिश्चित हो सकेगी ।
- 8.16 किसानों से धान क्रय करते समय जिस प्रकार के बारदाने (नये, पुराने अथवा HDPE/PP) का धान उपार्जन हेतु उपयोग किया जा रहा है अथवा मिलर अथवा परिवहनकर्ता को धान प्रदाय करते समय जिस प्रकार के बारदाने (नये, पुराने अथवा HDPE/PP) जारी किये जा रहे हैं, उसकी एंट्री सॉफ्टवेयर में की जावे । समिति के भौतिक सत्यापन के दौरान बारदाने के स्टॉक सही नहीं पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जावे ।
- 8.17 बारदाने की गुणवत्ता एवं विभिन्न स्तर पर बारदाने का रिकार्ड संधारण हेतु मार्कफेड द्वारा निर्देश जारी किया जाए एवं विभाग को सूचित किया जाए ।
- 8.18 बारदाने की व्यवस्था के संबंध में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 4-14/2020/29-1 दिनांक 21 मई, 2021 (परिशिष्ट-9) द्वारा जारी दिशा-निर्देश अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।
- 8.19 मार्कफेड द्वारा समितिवार नये एवं पुराने बोरे की आवश्यकता का आकलन कर लिया जावे । मिलर के पास उपलब्ध पुराने बारदाने को धान खरीदी केन्द्रों में उपलब्ध कराने हेतु टैगिंग का कार्य मार्कफेड द्वारा यथाशीघ्र कर लिया जावे । पीडीएस के पुराने बारदानों को समीपस्थ खरीदी केन्द्र एवं मार्कफेड के बारदाना संग्रहण केन्द्र में पहुंचाने का कार्य समयानुसार कर लिया जावे । मार्कफेड द्वारा धान खरीदी आकलन एवं आवक को ध्यान में रखते हुए नये एवं पुराने बारदाने की उपलब्धता समयानुसार सुनिश्चित की जावे । मार्कफेड द्वारा समिति एवं संग्रहण केन्द्र स्तर पर नये एवं पुराने बारदानों में धान के रखरखाव, उठाव, डिजीटल प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया जावे ।
- 9 उपार्जन हेतु आरंभिक व्यवस्था -
- 9.1 छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर द्वारा पत्र क्रमांक 4985/एफ-03/19/विविध/2021/14-2 दिनांक 28.09.2021 में एकीकृत किसान पोर्टल (Unified Farmer Portal-UFP) के संचालन संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं, जिसके अनुक्रम में खाद्य विभाग द्वारा विभागीय पत्र एफ 4-13/2021/29-1/P दिनांक 29 सितंबर, 2021, पत्र दिनांक 09 नवंबर, 2021, दिनांक 18.11.2021, दिनांक 20.11.2021 एवं पत्र दिनांक 23.11.2021 जारी किये गये हैं ।
- 9.2 कृषकों द्वारा विक्रय किये गये धान एवं मक्का की राशि का भुगतान किसानों के बैंक खाते में डिजीटल मोड से किया जायेगा । यथाशीघ्र यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सभी कृषकों के खाते खुल जायें तथा बैंक खातों की जानकारी की प्रविष्टि किसान डेटाबेस में कर ली जावे ।
- 9.3 सहकारी समितियों को दी जाने वाली राशि यदि मार्कफेड द्वारा सहकारी समिति के बैंक खाते में सीधे दी जाना हो तो कलेक्टर द्वारा समितियों के खाते की जानकारी सहित प्रस्ताव प्रबंध संचालक, मार्कफेड को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जावे, ताकि समितियों को राशि अंतरित की जा सके ।

- 9.4 भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2021-22 हेतु धान एवं मक्का की खरीदी अवधि एवं औसत अच्छी गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) के मापदण्डों का बैनर, हैण्डबिल, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे ताकि राज्य के किसानों को उपरोक्त के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो सके ।
- 9.5 सभी धान उपार्जन केन्द्रों में धान एवं मक्का के खरीदी अवधि के बैनर के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा एफ.ए.क्यू. धान एवं मक्का के लिए निर्धारित विनिर्दिष्टियों को भी प्रदर्शित किया जावे ।
- 9.6 धान खरीदी कार्य प्रारंभ होने के पूर्व सभी उपार्जन केन्द्रों के कांटे-बांट तथा जिलों के संग्रहण केन्द्रों एवं चावल उपार्जन गोदामों के धर्मकांटो का सत्यापन नियंत्रक विधिक मापविज्ञान द्वारा सत्यापित होना चाहिए । बांट माप का सत्यापन 24 माह की कालावधि में कम से कम एक बार कराया जाना आवश्यक होता है, जबकि स्वचालित तौल उपकरणों जैसे- इलेक्ट्रॉनिक वेईंग मशीन एवं धर्मकांटे (वेब्रिज) के सत्यापन की कालावधि 12 माह निर्धारित है । धान खरीदी एवं संग्रहण केन्द्रों के बांट माप के ऑनलाईन सत्यापन के संबंध में नियंत्रक विधिक मापविज्ञान द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1765/विमा/धान खरीदी/2017 दिनांक 14.08.2017 अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे, उक्त पत्र की प्रति परिशिष्ट-10 पर संलग्न है । उपार्जन केन्द्र पर निरीक्षक विधिक मापविज्ञान द्वारा जारी किये गये सत्यापन प्रमाण-पत्र, सहज एवं दृष्टिगोचर स्थान पर आवश्यक रूप से प्रदर्शित किये जावें, जिन्हें विक्रेता किसान आसानी से देखकर उपकरणों की सत्यता को लेकर सुनिश्चित हो सकें ।
- 9.7 धान एवं मक्का उपार्जन हेतु केन्द्र का चिन्हांकन करते समय विशेष रूप से यह ध्यान रखा जावे कि ऐसे स्थानों की भूमि नीची अथवा गड्ढे वाली न हो अपितु आस-पास के स्थल से पर्याप्त रूप से ऊंचा स्थान हो जिससे आकस्मिक वर्षा की स्थिति में संग्रहित धान के खराब होने की स्थिति निर्मित न हो । उपार्जन केन्द्र स्तर पर धान के सुरक्षित संग्रहण हेतु आवश्यक संख्या में पॉलिथीन कवर, डनेज सामग्री / सीमेंट ब्लॉक / फ्लाई ऐश ब्रिक्स एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था भी उपार्जन केन्द्रों में उपलब्ध होना चाहिए । उपरोक्त हेतु मार्कफेड द्वारा अग्रिम में राशि समितियों को प्रदाय किया जावे ।
- 9.8 धान एवं मक्का खरीदी केन्द्रों में निर्धारित मापदण्ड अनुसार ही धान लाये जाने हेतु पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जावे । खरीफ वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सभी उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी के लिये नमी की जांच हेतु आर्द्रतामापी यंत्र रखे जावे । आर्द्रतामापी यंत्र के उपयोग हेतु समिति प्रबंधकों को आवश्यक प्रशिक्षण भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा दिलाया जावे । सभी खरीदी केन्द्रों में आर्द्रतामापी यंत्र चालू अवस्था में होनी चाहिए । आर्द्रतामापी यंत्र का कैलीब्रेशन यथाशीघ्र धान खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व करा लिया जावे । जिन स्थानों पर आर्द्रतामापी यंत्र उपयोग योग्य नहीं है, वहां समिति द्वारा नये आर्द्रतामापी यंत्र की व्यवस्था की जावे । अपैक्स बैंक द्वारा आर्द्रतामापी यंत्र के संबंध में भारतीय खाद्य निगम से संपर्क कर मापदण्ड प्राप्त किया जावे । उपार्जन केन्द्रों में नमी की जांच कर किसानों को आवश्यक समझाईश दी जावे । किसी भी स्थिति में 17 % से अधिक नमी का धान क्रय नहीं किया जावे । एन.आई.सी. के द्वारा समितियों में धान की आर्द्रता एवं अन्य विनिर्दिष्टियों की एंट्री हेतु प्रावधान किया जावे । प्रशिक्षण की व्यवस्था, कांटा-बांट एवं धर्मकांटा का सत्यापन, आर्द्रतामापी यंत्र का कैलीब्रेशन एवं ट्रायल रन के संबंध में विभागीय पत्र दिनांक 13.11.2021 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।
- 9.9 समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के संग्रहण हेतु जहां तक संभव हो शासकीय भूमि का उपयोग किया जावे एवं यदि अपरिहार्य कारणों से निजी भूमि पर धान संग्रहण की आवश्यकता हो तो ग्राम पंचायत के माध्यम

- से निजी भूमि किराए पर ली जावे तथा निजी भूमि के किराए की राशि का भुगतान ग्राम पंचायत को किया जावे ।
- 9.10 प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में औसत अच्छी गुणवत्ता के धान एवं मक्का के किस्मवार सेम्पल कृषकों के अवलोकन हेतु अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किये जावे ।
- 9.11 प्रत्येक गांव में धान एवं मक्का के बोवाई रकबे के साथ-साथ उत्पादन की जानकारी उपार्जन केन्द्र स्तर तथा जिला स्तर पर भी संधारित किया जावे ।
- 9.12 धान एवं मक्का की खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में धान की भरती तथा तुलाई एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक बारदानों, कांटे-बांट इत्यादि की व्यवस्था की जावे । इसके अतिरिक्त प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की व्यवस्था भी की जावे ताकि धान उपार्जन के कार्य में सुगमता बनी रहे ।
- 10 उपार्जन व्यवस्था का कम्प्यूटरीकरण -
- 10.1 खरीफ वर्ष 2020-21 की भांति खरीफ वर्ष 2021-22 में भी धान उपार्जन एवं निराकरण की समस्त कार्यवाही कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के माध्यम से किया जाना है । खरीफ वर्ष 2021-22 में मक्का उपार्जन का कार्य धान खरीदी के समान ही कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के माध्यम से किया जाना है । जिस हेतु निम्न कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराई जावे -
- 10.1.1 खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी व्यवस्था के संबंध में चेक लिस्ट अनुसार कार्यवाही करने के लिए विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4-12/खाद्य/2021/29-1/पार्ट (V) दिनांक 21.10.2021 एवं पत्र दिनांक 03.11.2021 द्वारा दिशा-निर्देश दिये गये हैं । विगत वर्षों में उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी हेतु प्रयुक्त किए गए कम्प्यूटर, प्रिंटर, जनरेटर एवं यू.पी.एस. का परीक्षण करा लिया जाए एवं यदि कोई उपकरण चालू हालत में न हो तो तत्काल उसमें सुधार करा लिया जाए । ये सभी उपकरण चालू हालत में हैं एवं कम्प्यूटर के इंस्टालेशन का कार्य उपार्जन केन्द्र में किया जा चुका है, इस आशय का प्रमाण-पत्र संबंधित सहकारी समिति के प्रबंधक से प्राप्त किया जाए । जिले के समस्त उपार्जन केन्द्रों की कम्प्यूटर, प्रिंटर, जनरेटर एवं यू.पी.एस. की ओ.के. रिपोर्ट प्रबंध संचालक, मार्कफेड को यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाए । उपार्जन केन्द्रों में वर्ष 2021-22 के लिए साफ्टवेयर को अपलोड करने के संबंध में समस्त कार्यों हेतु एन.आई.सी. एवं विपणन संघ द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावे ।
- 10.1.2 धान उपार्जन केन्द्र, जहां वास्तविक रूप में धान खरीदी का कार्य होता है, उस स्थान पर ही कम्प्यूटर स्थापित किया जावे ताकि किसान को भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो एवं धान खरीदी कार्य पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण बना रहे ।
- 10.1.3 कम्प्यूटर, प्रिंटर, डाटा एन्ट्री आपरेटर एवं मोटर साईकल रनर्स का रिजर्व पूल आवश्यकतानुसार रखा जाए ताकि किसी भी आकस्मिक समस्या का तत्काल निराकरण किया जा सके ।
- 10.2 खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में जिन खरीदी केन्द्रों में नेटवर्क सुविधा उपलब्ध है वहां पर ऑनलाईन धान की खरीदी की जाए । इससे धान के लिये राशि एवं बारदाने की व्यवस्था तथा धान के निराकरण में जानकारियों के त्वरित आदान-प्रदान होने के कारण सुविधा होगी । इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु आवश्यक राशि मार्कफेड द्वारा प्रशासकीय मद की राशि से समितियों को आवश्यकतानुसार अग्रिम में प्रदान की जावे ।
- 10.2.1 कम्प्यूटर में किसी प्रकार की खराबी आने की स्थिति में विगत वर्षों की भांति मेनुअल धान खरीदी का

प्रस्ताव तत्काल प्रबंध संचालक, मार्कफेड को फैक्स/ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया जाए। प्रबंध संचालक, मार्कफेड द्वारा एक बार में अधिकतम 03 दिवस के लिए मेनुअल धान खरीदी की अनुमति दी जा सकेगी। मेनुअल धान खरीदी के रिकार्ड संबंधित सहकारी समिति द्वारा रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगे तथा कम्प्यूटर के ठीक होने के उपरांत इसकी एन्ट्री सुनिश्चित की जाएगी। मेनुअल खरीदी के दौरान संबंधित उपार्जन केन्द्र से मार्कफेड के संग्रहण केन्द्र को धान प्रदाय किया जाएगा एवं राईस मिलर्स को धान प्रदाय नहीं किया जाएगा। किसी भी समिति द्वारा संपूर्ण धान खरीदी अवधि के दौरान 5 दिवस से अधिक समय तक मेनुअल खरीदी किए जाने की स्थिति में अगले वर्ष धान उपार्जन उस समिति में नहीं की जावेगी।

- 10.2.2 मेनुअल धान खरीदी के लिए आवश्यक स्टेशनरी की व्यवस्था जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा पूर्व से करा ली जावे ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें धान उपार्जन केन्द्रों को प्रदाय किया जा सके।
- 10.2.3 खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में सहकारी समितियों में धान उपार्जन कार्य के लिए डाटाएन्ट्री ऑपरेटर की व्यवस्था गत खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 हेतु जारी विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4-15/2018/29-1/पार्ट (VII) दिनांक 16.08.2019 (परिशिष्ट-11) में दिये गये निर्देशानुसार की जावे, किंतु डाटाएन्ट्री ऑपरेटर का मानदेय रु. 18420/- प्रतिमाह प्रदान किया जाए।
- 10.2.4 ऑफलाईन उपार्जन केन्द्रों हेतु आवश्यकतानुसार रनर्स की नियुक्ति मार्कफेड द्वारा की जावे। मोटर साईकल रनर्स द्वारा प्रतिदिन धान उपार्जन केन्द्रों के कम्प्यूटर का डेटा प्राप्त करके विकासखण्ड मुख्यालय पर लाकर विकासखण्ड मुख्यालय से डेटा एन.आई.सी. के माध्यम से इंटरनेट पर दर्ज किया जाएगा। इसी प्रकार एन.आई.सी. के सर्वर से इंटरनेट पर जानकारी प्राप्त कर धान उपार्जन केन्द्रों के कम्प्यूटर में भी पहुंचायेंगे। अतः आप अपने जिले में ऐसे मोटर साईकल रनर्स की नियुक्ति, प्रशिक्षण एवं उपार्जन केन्द्रों के संलग्नीकरण की कार्यवाही मार्कफेड द्वारा निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करावें।
- 10.2.5 ऑनलाईन खरीदी केन्द्रों का डेटा नियमित अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाये। सभी उपार्जन केन्द्रों का अद्यतन डाटा अपलोड करना जिले के खाद्य अधिकारी/खाद्य नियंत्रक व जिला विपणन अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। समिति का डेटा 72 घंटे के अंदर अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा समिति कंडिका 14 में वर्णित इन्सेंटिव कमीशन हेतु पात्र नहीं होंगे।
- 10.2.6 विकासखण्ड मुख्यालय में वर्तमान में उपलब्ध पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के व्ही.सेट को पूरी धान खरीदी अवधि के दौरान कार्यशील अवस्था में बनाए रखने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही समय रहते हुए पूर्ण कर ली जावे।
- 10.2.7 खरीफ वर्ष 2021-22 के दौरान मार्कफेड के सभी धान संग्रहण केन्द्रों में धान की प्राप्ति एवं प्रदाय की व्यवस्था पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत एवं वेब-बेस्ड होगी। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में प्रारंभ होने वाले नए संग्रहण केन्द्र में यह कार्य समयानुसार पूर्ण कर लिया जावे।
- 10.2.8 जिले में संचालित किए जाने वाले धान उपार्जन केन्द्रों से मार्कफेड के जिन संग्रहण केन्द्रों में धान का प्रदाय किया जावेगा, उनका संलग्नीकरण संबंधित संग्रहण केन्द्रों से शीघ्र कर लिया जावे। कस्टम मिलिंग कम्प्यूटराईजेशन से संबंधित समस्त प्रक्रिया की जानकारी विभाग द्वारा कस्टम मिलिंग के संबंध में जारी किए जा रहे आदेश में विस्तृत रूप से दिए जा रहे हैं।

10.2.9 धान के उपार्जन की खरीफ वर्ष 2021-22 में कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था का प्रशिक्षण कार्य मार्कफेड द्वारा कराया जावे । कृपया मार्कफेड द्वारा जारी की जाने वाली समय सारिणी के अनुसार कम्प्यूटरीकरण कार्य से संबंधित सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिलावे ।

10.2.10 मक्का के उपार्जन की खरीफ वर्ष 2021-22 में कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था का प्रशिक्षण कार्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा कराया जावे । कृपया नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा जारी की जाने वाली समय सारिणी के अनुसार कम्प्यूटरीकरण कार्य से संबंधित सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिलावे ।

10.2.11 धान एवं मक्का खरीदी के कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था का ट्रायल रन दिनांक 26 एवं 27 नवंबर 2021 को जिले के प्रत्येक धान एवं मक्का उपार्जन केन्द्र में कराने हेतु विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4-12/2021/29-1 दिनांक 13.11.2021 जारी किया गया है तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये । इस ट्रायल रन में सभी धान उपार्जन केन्द्र एवं संग्रहण केन्द्र भाग लेंगे । प्रत्येक धान उपार्जन केन्द्र का इसमें भाग लेना अनिवार्य होगा । जो केन्द्र इसमें भाग नहीं लेंगे वे कडिका 14 में वर्णित इन्सेंटिव कमीशन हेतु पात्र नहीं होंगे । कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा स्वीकृत सभी धान एवं मक्का उपार्जन केन्द्रों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण हो जाए ।

11 उपार्जन के अन्य बिन्दुओं का प्रशिक्षण -

धान एवं मक्का खरीदी कार्य प्रारंभ होने के पूर्व आवश्यक है कि निर्धारित औसत अच्छी गुणवत्ता के धान व मक्का की खरीदी एवं चावल उपार्जन हेतु की गई कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के संबंध में प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था मार्कफेड एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा की जावे ।

12 गुणवत्ता -

12.1 उपार्जन एजेंसी द्वारा भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित एकसमान विनिर्दिष्टियों के अनुसार (परिशिष्ट-1) औसत अच्छे किस्म (एफ.ए.क्यू) का धान एवं मक्का कय किया जावेगा ।

12.2 एफ.ए.क्यू धान एवं मक्का का कय सुनिश्चित किए जाने हेतु जिले में संग्रहण केन्द्र स्तर एवं समिति स्तर पर निम्न समितियों का गठन किया जावे -

12.2.1 जिले में प्रत्येक संग्रहण केन्द्र स्तर पर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया जावे, जिसमें खाद्य, विपणन संघ, जिला सहकारी बैंक, मंडी एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी सम्मिलित हों । उक्त दल के द्वारा संग्रहण केन्द्र से संबंधित समितियों में धान एवं मक्का खरीदी व्यवस्था की निगरानी की जावेगी एवं समिति/संग्रहण केन्द्र स्तर पर धान की गुणवत्ता संबंधी विवादों का निराकरण किया जावेगा । संग्रहण केन्द्र प्रभारी समिति द्वारा भेजे गये धान को अमानक करने हेतु स्वयं अधिकृत नहीं होंगे । संग्रहण केन्द्र में तहसीलदार की अध्यक्षता में गठित दल द्वारा निरीक्षण कर विनिश्चय करने पर ही धान रिजेक्ट किया जायेगा । धान रिजेक्ट होने पर या तो समिति द्वारा धान वापस ले जाया जायेगा तथा स्पेशीफिकेशन के अनुरूप साफ/परिवर्तित कर विपणन संघ को प्रदाय किया जायेगा ।

12.2.2 सहकारी समिति स्तर पर सही गुणवत्ता एवं पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार सदस्यों को सम्मिलित करते हुए स्थानीय स्तर पर एक समिति गठित की जाये, जिसमें निम्नानुसार सदस्य रखे जावेंगे -

1. सहकारी समिति के अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी

2. संबंधित क्षेत्र के सरपंच
 3. कलेक्टर द्वारा नामांकित 1 प्रतिनिधि
 4. मा. प्रभारी मंत्री जी द्वारा अनुमोदित 02 जन प्रतिनिधि (राईस मिलर न हो)
- 12.2.3 उक्त समितियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि भारत शासन द्वारा निर्धारित औसत अच्छी गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) किस्म की धान एवं मक्का पंजीकृत किसानों से ही कय किया जाए ।
- 12.2.4 जिले में संग्रहण केन्द्र एवं समिति स्तर पर गठित उपरोक्त समितियों के सदस्यों के नाम, पदनाम सहित जानकारी संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा विभाग को अनिवार्य रूप से धान खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व उपलब्ध कराया जावे ।
- 13 भुगतान व्यवस्था -**
- 13.1 किसानों को धान एवं मक्का की राशि का भुगतान डिजीटल मोड से उनके बैंक खाते में राशि का अंतरण कर ही किया जाये । अंतरण के प्रमाण स्वरूप कृषकों को निर्धारित प्रारूप में उपार्जन केन्द्र पर ही कम्प्यूटर द्वारा तैयार किए गए भुगतान प्रमाण पत्र प्रदान किया जावे ।
- 13.2 धान उपार्जन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से ही किया जाना है, अतः आवश्यकतानुसार उनकी साख सीमा निर्धारित किए जाने हेतु आवश्यक आदेश सहकारिता विभाग द्वारा जारी किए जायेंगे ।
- 13.3 जिन समितियों में अधिक मात्रा में धान आता है उन समितियों के खाते वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भी खोले जावें, जिससे किसानों द्वारा विक्रय किए गए धान के भुगतान प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो ।
- 13.4 मार्कफेड द्वारा धान खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व धान के सुरक्षित रखरखाव हेतु समितियों को आवश्यकतानुसार धान भण्डारण व सुरक्षा व्यय अग्रिम में प्रदान की जावे । नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा मक्का खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व मक्का के सुरक्षित रखरखाव हेतु समितियों को आवश्यकतानुसार मक्का भण्डारण व सुरक्षा व्यय अग्रिम में प्रदान की जावे ।
- 13.5 मार्कफेड द्वारा खरीदी अवधि के दौरान धान उपार्जन हेतु धान का समर्थन मूल्य, प्रासंगिक व्यय एवं धान भण्डारण व सुरक्षा व्यय की राशि जोड़कर अग्रिम के रूप में सहकारी समितियों को किसानों को भुगतान हेतु उपलब्ध कराई जाएगी । उपरोक्त उपलब्ध कराई गई राशि में से सर्वप्रथम किसानों को भुगतान किया जाएगा एवं किसानों को भुगतान पूर्ण होने के उपरांत ही शेष उपलब्ध राशि का उपयोग सहकारी समितियों द्वारा अन्य मदों में किया जाएगा । समितियों द्वारा मदवार व्यय की गई जानकारी कम्प्यूटर में एंट्री की जायेगी ।
- नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा खरीदी अवधि के दौरान मक्का उपार्जन हेतु मक्का का समर्थन मूल्य, प्रासंगिक व्यय एवं धान भण्डारण व सुरक्षा व्यय की राशि जोड़कर अग्रिम के रूप में सहकारी समितियों को किसानों को भुगतान हेतु उपलब्ध कराई जाएगी । उपरोक्त उपलब्ध कराई गई राशि में से सर्वप्रथम किसानों को भुगतान किया जाएगा एवं किसानों को भुगतान पूर्ण होने के उपरांत ही शेष उपलब्ध राशि का उपयोग सहकारी समितियों द्वारा अन्य मदों में किया जाएगा । समितियों द्वारा मदवार व्यय की गई जानकारी कम्प्यूटर में एंट्री की जायेगी ।
- 13.6 प्रासंगिक व्यय व धान/मक्का भण्डारण व सुरक्षा व्यय के मद में प्रदाय की गई अग्रिम राशियों का समायोजन

समिति द्वारा उक्त मदों में वास्तविक व्यय के आधार पर किया जाएगा तथा अव्ययित राशि को कमीशन की राशि से समायोजित किया जाएगा ।

14. समिति को इन्सेंटिव प्रदान करना -

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में ऐसी समितियों को प्रोत्साहन राशि (इन्सेंटिव) प्रदाय किया जावे, जिनमें :-

1. समिति में शॉर्टेज/कमी की मात्रा निरंक हो,
2. समिति में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गयी हो तथा
3. शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन समिति द्वारा किया गया हो ।
4. परिवहन स्तर पर होने वाली कमी की वसूली/भरपायी मार्कफेड द्वारा परिवहनकर्ता से कर लिये जाने की स्थिति में

समितियों एवं उनके कर्मचारियों को इन्सेंटिव के रूप में 5 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि (2.50 रु. समिति हेतु एवं 2.50 रु. समिति द्वारा धान खरीदी कार्य में नियोजित अधिकारियों व कर्मचारियों हेतु) प्रदाय की जावेगी ।

15. भण्डारण व्यवस्था -

- 15.1 धान के उचित भण्डारण हेतु भण्डारण केन्द्र स्थल का चयन, आवश्यक डनेज मटेरियल एवं कैप कवर्स आदि की व्यवस्था मार्कफेड द्वारा किया जावेगा । धान को खुले में कैप कव्हर में भण्डारित करने के लिए विगत खरीफ विपणन वर्ष में कय किए गए कैप कवर्स, सीमेंट ब्लॉक, चटाई, पॉलीथीन आदि का (जो अच्छी हालत में हो) उपयोग किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार डनेज सामग्री एवं कैप कव्हर मार्कफेड द्वारा समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये ।
- 15.2 सभी संग्रहण केन्द्रों में खरीदी केन्द्रों से आने वाले धान की नमी की जांच हेतु आर्द्रतामापी यंत्र रखा जाये । आर्द्रतामापी यंत्र का यथाशीघ्र कैलीब्रेशन करा लिया जाये ।
- 15.3 मार्कफेड के संग्रहण केन्द्रों में यथासंभव मार्कफेड द्वारा धरमकांटा लगवाने की व्यवस्था की जाए ।
- 15.4 खरीफ वर्ष 2021-22 में प्रारंभ किये जाने वाले नये धान संग्रहण केन्द्रों में भी धान के सुरक्षित भण्डारण हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थायें की जावे ।
- 15.5 संग्रहण केन्द्रों में खरीदी अवधि के दौरान जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के द्वारा एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जावे जो समिति से आने वाले धान के तौल, पावती प्रदाय, धान की गुणवत्ता, बारदाना में छपाई आदि व्यवस्था की निगरानी करेगा ।
- 15.6 मार्कफेड द्वारा उपार्जित धान को यथासंभव निकटतम मिलिंग केन्द्रों की मिलिंग क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए भण्डारित कराया जावे ।
- 15.7 खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में विगत वर्षों में कुछ जिलों में मिलिंग/भण्डारण की परेशानी को देखते हुए धान के त्वरित निराकरण हेतु एवं उपलब्ध मिलिंग क्षमता के उपयोग हेतु कुछ जिलों में उपार्जित धान की कुछ मात्रा को शुरू से ही अन्य जिलों के संग्रहण केन्द्रों में आवश्यकतानुसार भण्डारित किया जाए । उक्त हेतु अंतर जिला धान स्थानांतरण हेतु अनुमानित धान भण्डारण की कार्ययोजना परिशिष्ट-3 पर संलग्न है । धान खरीदी का कार्य पूर्ण होने पर उपार्जित धान की मात्रा के आधार पर कार्ययोजना परिवर्तनीय होगी ।

- 15.8 खरीदी केन्द्र में भण्डारित समस्त धान को मार्कफेड द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2022 तक अनिवार्य रूप से उठाव कराया जावे ।
- 15.9 धान उपार्जन केन्द्रों में संग्रहित धान के लिए कोई सूखत मात्रा मान्य नहीं होगी ।
16. परिवहन व्यवस्था -
- 16.1 खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 हेतु परिवहन की व्यवस्था मार्कफेड द्वारा किया जायेगा । खाद्य विभाग भारत सरकार के पत्र क्रमांक 192(14)/2018-FC A/cs दिनांक 06.05.2019 (परिशिष्ट-12) में उल्लेखित राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से धान/सी.एम.आर. का परिवहन दर का निर्धारण किया जावेगा ।
- 16.2 खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में चावल के परिवहन दर का भुगतान धान के परिवहन दर के आधार पर ही किया जाएगा ।
- 16.3 धान के परिवहन हेतु निर्धारित परिवहनकर्ता द्वारा परिवहन न किये जाने पर आवश्यकतानुसार स्वीकृत परिवहन दर पर किसी भी परिवहनकर्ता से परिवहन का कार्य कराया जा सकता है । मार्कफेड द्वारा परिवहन नहीं कराये जाने की स्थिति में स्वीकृत परिवहन दर पर समितियों द्वारा धान का परिवहन कराया जावे । इस हेतु समिति उसे धान भण्डारण व सुरक्षा मद अथवा प्रासंगिक व्यय के मद में प्रदत्त अग्रिम राशि का उपयोग परिवहन देयकों के भुगतान हेतु कर सकेगी तथा ऐसे व्यय की प्रतिपूर्ति विपणन संघ द्वारा समिति को की जाएगी । समितियों द्वारा धान परिवहन कराये जाने पर संग्रहण केन्द्रों में धान भण्डारण करने हेतु उचित व्यवस्था मार्कफेड द्वारा की जावे ।
- 16.4 खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु उपार्जन केन्द्रों के बफर लिमिट में संशोधन करने हेतु जिले स्तर खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी, उप/सहायक पंजीयक पंजीयक सहकारी संस्थाएं एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का संयुक्त दल गठित किया जाता है । उपरोक्त दल उपार्जन केन्द्रों के बफर लिमिट का भौतिक रूप से परीक्षण कर अपनी अनुशंसा कलेक्टर का प्रेषित करेंगे । कलेक्टर द्वारा परीक्षण उपरांत उपार्जन केन्द्रों के बफर लिमिट का निर्धारण किया जावेगा एवं बफर लिमिट निर्धारण की जानकारी प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को प्रेषित की जावेगी, तदनुसार विपणन संघ द्वारा एन.आई.सी. के माध्यम से बफर लिमिट की एंट्री की जावेगी । उपरोक्त के संबंध में विभागीय पत्र दिनांक 12.11.2021 पूर्व में जारी किया गया है ।
- खरीदी केन्द्र में धान की मात्रा बफर स्टॉक की सीमा से ज्यादा होने पर 72 घंटे के भीतर उसका शीघ्र उठाव कराया जावे ।
- 16.5 खरीदी केन्द्रों से धान के उठाव हेतु एवं दोहरे परिवहन व्यय को रोकने हेतु अधिकाधिक मात्रा में धान सीधे मिलर्स को प्रदाय किया जाये । नई बारदाना नीति एवं धान के त्वरित निराकरण के दृष्टिकोण से मूल जिले/आधिक्य मिलिंग क्षमता वाले जिलों के मिलर से पुराने जिले या कम मिलिंग क्षमता वाले जिले के धान के त्वरित निराकरण करने हेतु धान खरीदी के प्रारंभ से ही संलग्न किया जावे । इस संबंध में जिलों का संलग्नीकरण परिशिष्ट-3 में दर्शित अनुसार किया जावे । धान के निराकरण की अवधि के दौरान परिस्थिति अनुसार प्रस्तावित संलग्नीकरण प्लान में परिवर्तन किया जा सकता है । खरीदी केन्द्र से अन्य संलग्न जिले के मिलर्स द्वारा मिलिंग हेतु सीधे धान उठाव की अनुमानित कार्ययोजना परिशिष्ट-3 में दर्शित है ।



- 16.6 मिलर्स को धान प्रदाय करने की प्रक्रिया कस्टम मिलिंग के निर्देश अनुसार की जाए ।
- 16.7 धान उपार्जन केन्द्रों से सहकारी समितियों के व्यय पर 10 प्रतिशत रेण्डम वजन कराने के उपरांत धान का प्रदाय किया जावेगा । परिवहनकर्ता द्वारा मांग किये जाने पर समिति द्वारा शतप्रतिशत धान का वजन कराया जावे ।
- 16.8 समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन अवधि के दौरान पड़ोसी राज्यों से धान लाकर सीमावर्ती जिलों के खरीदी केन्द्रों में विक्रय करने की आशंका रहती है । अतः सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर्स राज्य की सीमा पर आवश्यक चेकिंग दल तत्काल तैनात कर विभाग को सूचित करें । चेकिंग दल में राजस्व, खाद्य, मंडी, सहकारिता फॉरेस्ट एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को शामिल किया जावे । सीमावर्ती जिलों की 68 खरीदी केन्द्रों में विशेष निगरानी रखी जावे, ऐसे खरीदी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-13 पर संलग्न है ।
- 16.9 खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन राज्य के पंजीकृत किसानों से किया जाना है । धान उपार्जन अवधि के दौरान सीमावर्ती राज्यों से धान लाकर राज्य के उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत इसके विक्रय की आशंका बनी रहती है, इसलिए 30 अप्रैल 2022 तक अन्य राज्यों से धान का आयात संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण की अनुमति से ही हो सकेगा । सुपर फाइन किस्म का धान जो 2100 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक लागत का हो, के आयात के लिये संचालक, खाद्य की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है । परंतु आयातक को धान आयात करने की सूचना जिला खाद्य अधिकारी/खाद्य नियंत्रक को देना होगा । इस संबंध में पूर्व में जारी विभागीय दिशा-निर्देश दिनांक 15 नवंबर, 2021 अनुसार कार्यवाही की जावे ।

17. हानि की प्रतिपूर्ति एवं समितियों को कमीशन/प्रासंगिक व्यय -

- 17.1 खरीफ वर्ष 2021-22 में धान एवं मक्का के उपार्जन कार्य हेतु नियुक्त एजेंसी को भारत शासन द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर देय प्रासंगिक व्ययों के उपरांत भी यदि हानि होती है तो हानि की प्रतिपूर्ति तत्संबंध में राज्य शासन द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जावेगी ।
- 17.2 धान उपार्जन कार्य हेतु निम्नानुसार कमीशन एवं अन्य व्यय देय होंगे -
- 17.2.1 उपार्जन केन्द्र से मार्कफेड अथवा मिलर्स को प्रदाय धान हेतु प्रासंगिक व्यय की राशि (मंडी लेबर चाजी) का निर्धारण भारत सरकार के निर्देश पर गठित राज्य स्तरीय समिति के द्वारा प्रचलित कार्यवाही अनुसार होगी । धान भण्डारण एवं सुरक्षा व्यय के रूप में 3.00 रुपये प्रति क्विंटल के मान से देय होगी । दिनांक 31 मार्च, 2022 के पश्चात यदि समितियों में धान शेष रहता है तो उस मात्रा पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रासंगिक व्ययों की प्रतिपूर्ति के सिद्धांत के अनुसार भंडारण अवधि का निर्धारण करते हुए किया जाएगा । उक्त संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित समस्त दस्तावेज/देयकों की प्रति समितियों द्वारा मार्कफेड को उपलब्ध कराई जाएगी । संग्रहण केन्द्रों में हैण्डलिंग चार्ज का निर्धारण उपरोक्त राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा ।
- 17.2.2 समितियों को धान उपार्जन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित कमीशन देय होगा ।

- 17.2.3 राशि 5.00 रुपये प्रति क्विंटल बैंक व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में मार्कफेड द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को देय होगी । रायगढ़ एवं जशपुर जिले में उपरोक्त कार्य अपैक्स बैंक द्वारा किया जाता है, अतः यह राशि अपैक्स बैंक को प्रदाय की जावे। अपैक्स बैंक को धान खरीदी कार्य में समन्वय एवं पर्यवेक्षण कार्य के रूप में सुपरवाइजिंग कार्य हेतु राशि रुपये 0.50 (50 पैसे) प्रति क्विंटल मार्कफेड द्वारा प्रदाय किया जाएगा । शासन द्वारा पत्र क्रमांक एफ 4-8/खाद्य/2014/29-2/2436 दिनांक 04.07.2016 (परिशिष्ट-14) द्वारा निर्धारित किये गये प्रशासनिक कार्यों के अनुसार अपैक्स बैंक एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा कार्य सुनिश्चित किए जाने पर एवं विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन किये जाने पर, उक्त राशि मार्कफेड द्वारा प्रदाय की जाएगी ।
- 17.2.4 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी समितियों को आवश्यक स्टेशनरी का मुद्रण कराकर उपलब्ध कराया जाएगा । इस कार्य हेतु व्यय राशि की प्रतिपूर्ति मार्कफेड द्वारा नहीं की जाएगी ।
- 17.2.5 मार्कफेड को मिलर्स को अरवा/उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि पर आये व्ययों की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जावेगी ।
- 17.2.6 समिति स्तर पर समिति द्वारा मिलर को धान लोड कर प्रदाय किया जावे । संग्रहण केन्द्र से मिलर द्वारा धान उठाव करने पर लोडिंग की राशि परिवहन व्यय में से कटौती की जावे एवं अनलोडिंग की राशि प्रदाय की जावे।
- 17.3 मक्का खरीदी कार्य के लिए समिति को कमीशन के रूप में 8 रुपये प्रति क्विंटल, प्रासंगिक व्यय के रूप में 5 रुपये प्रति क्विंटल तथा भंडारण एवं सुरक्षा व्यय के रूप में 1 रुपये प्रति क्विंटल देय होगी ।
18. कस्टम मिलिंग -
- 18.1 खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में पंजीकृत मिलों द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का कस्टम मिलिंग किया जाएगा। धान की कस्टम मिलिंग संबंधी समस्त कार्य का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है । इस संबंध में विस्तृत निर्देश कस्टम मिलिंग प्रक्रिया के संबंध में विभाग द्वारा जारी किए जा रहे हैं ।
- 18.2 विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजनांतर्गत राज्य की पीडीएस की आवश्यकता की पूर्ति हेतु चावल उपार्जन कार्य पूर्व की भांति नोडल एजेंसी के रूप में छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन द्वारा किया जाएगा तथा सरप्लस चावल पूर्वानुसार भारतीय खाद्य निगम को प्रदाय किया जायेगा ।
19. पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण -
- 19.1 धान एवं मक्का उपार्जन के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जिले में प्रभारी सचिव को जिम्मेदारी दी जावेगी । इस संबंध में प्रति वर्ष अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए जायेंगे ।
- 19.2 धान एवं मक्का उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग से संबंधित समस्याओं एवं कठिनाईयों को खाद्य विभाग के कॉल सेंटर नंबर 1800-233-3663 में दर्ज कराया जावे । कॉल सेंटर राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के रूप में संचालित किया जाएगा । कॉल सेंटर नंबर का प्रदर्शन प्रत्येक धान खरीदी केन्द्र में किया जावे । प्राप्त शिकायत का निराकरण 3 दिवस के भीतर में उपार्जन एजेंसी द्वारा राज्य स्तर पर एवं कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर किया जावे ।

- 19.3 जिला स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाये । इससे धान उपार्जन के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में सुविधा होगी, और उपार्जन के दौरान आने वाली समस्याओं/कठिनाईयों का निराकरण त्वरित गति से हो सकेगा । जिलों में स्थापित नियंत्रण कक्षों में पदस्थ कर्मचारियों तथा दूरभाष नंबरों की जानकारी राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष को शीघ्र उपलब्ध कराई जावे । इसके साथ ही धान एवं मक्का के उपार्जन से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारी नियमित रूप से विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन को उपलब्ध कराई जावे ।
- 19.4 उपार्जित धान एवं मक्का के भुगतान हेतु आवश्यक राशि, बारदाने एवं परिवहन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक उपार्जन केन्द्र अथवा एक से अधिक उपार्जन केन्द्रों हेतु एक नोडल अधिकारी कलेक्टर द्वारा नियुक्ति किया जावे, जो उक्त समस्त व्यवस्था के पर्यवेक्षण एवं आवश्यक सूचना संबंधितों को प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होगा ।
- 19.5 खरीफ विपणन वर्ष 2021-2022 में विगत खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 1 प्रतिशत से ज्यादा कमी वाले खरीदी केन्द्रों में कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन खरीदी की जावेगी । इन खरीदी केन्द्रों की सूची अपैक्स बैंक द्वारा जिलों को उपलब्ध करायी जावे ।
- 19.6 धान उपार्जन, संग्रहण एवं इसके निराकरण के प्रत्येक स्तर पर संधारित रजिस्ट्रों एवं अन्य अभिलेखों के प्रारूप में एकरूपता बनाने हेतु मार्कफेड द्वारा इनका आवश्यकतानुसार संख्या में मुद्रण कराकर यथाशीघ्र धान उपार्जन केन्द्र, धान संग्रहण केन्द्र एवं अन्य संबंधित कार्यालयों में उपलब्ध कराया जावे ।
- 19.7 समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन की समस्त कार्यवाही एवं व्यवस्था कलेक्टरों के निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में संपन्न की जावेगी । धान एवं मक्का के उपार्जन में कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन से सीधे संपर्क किया जा सकता है ।

20. सुरक्षा व्यवस्था -

धान एवं मक्का उपार्जन के दौरान जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा स्थानीय बैंकों को उपलब्ध कराई जाने वाली राशि के परिवहन के दौरान समुचित सुरक्षा हेतु जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रबंधन द्वारा मांग किए जाने पर आवश्यकतानुसार संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक को सूचित किया जाये । पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा ।

21. बीमा -

- 21.1 प्राकृतिक आपदाओं, अग्नि दुर्घटना एवं चोरी से धान की गुणवत्ता अथवा मात्रा प्रभावित होने से राज्य शासन को होने वाली हानि से बचने के लिए मार्कफेड द्वारा धान का बीमा कराया जाये ।
- 21.2 यदि समिति स्तर पर हुई क्षति का क्लेम बीमा कंपनी द्वारा समिति की किसी गलती के कारण आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकार किया जाता है तो इसके फलस्वरूप होने वाली क्षति समिति द्वारा वहन की जाएगी ।
- 21.3 धान उपार्जन केन्द्रों में कार्यरत समस्त व्यक्तियों का सामूहिक बीमा मार्कफेड द्वारा कराया जाये । इस हेतु उपार्जन केन्द्रों में कार्यरत व्यक्तियों की वांछित जानकारी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा मार्कफेड को दिनांक 07 दिसंबर, 2021 तक उपलब्ध कराई जाये ।

22. COVID-19 से बचाव हेतु व्यवस्था :-

खरीफ वर्ष 2021-22 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अवधि के दौरान COVID-19 से बचाव हेतु SOP परिशिष्ट-15 पर संलग्न है, जिसका पालन किया जावे ।

23. खरीदी केन्द्रों का मिलान –

धान खरीदी केन्द्रों के मिलान का कार्य समिति, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं मार्कफेड द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2022 तक पूर्ण की जाए। मक्का खरीदी केन्द्रों के मिलान का कार्य समिति, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा दिनांक 15 जून, 2022 तक पूर्ण की जाए।

24. मक्का उपार्जन –

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित मक्का का टी.पी.डी.एस. में वितरण नहीं होने के कारण नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा विक्रय खुली निविदा (Open Tender) के माध्यम से विक्रय कर निराकरण किया जावे। नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा खुली निविदा (Open Tender) के माध्यम से विक्रय कर निराकरण करने पर हानि प्रतिपूर्ति नागरिक आपूर्ति निगम को राज्य शासन द्वारा किया जावेगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन हेतु निर्धारित सभी आवश्यक कार्यवाहियां समय-सीमा में पूर्ण करते हुए विभाग को अवगत करावें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


(टोपेश्वर वर्मा)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग


नवा रायपुर, दिनांक 25 नवंबर, 2021

पृ.क्रमांक एफ 4-12/2021/29

प्रतिलिपि –

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
3. विशेष सहायक, समस्त माननीय मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
4. सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
7. कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
8. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को कंडिका 20 के संदर्भ में पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक आदेश प्रसारित करने हेतु प्रेषित।
10. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर कंडिका 19.1 के संदर्भ में आदेश प्रसारित करने हेतु प्रेषित।
11. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
12. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
13. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
14. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर।
15. संचालक, जन संपर्क, छत्तीसगढ़, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
16. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन, नवा रायपुर अटल नगर।

17. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., नवा रायपुर अटल नगर।
18. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम, नवा रायपुर अटल नगर।
19. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, रायपुर ।
20. पंजीयक, सहकारी संस्थाए, नवा रायपुर अटल नगर।
21. प्रबंध संचालक, कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, रायपुर ।
22. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, रायपुर ।
23. नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान कार्यालय, नवा रायपुर अटल नगर को बिन्दु क्रमांक 9.6 के संदर्भ में परिपालन हेतु ।
24. संचालक, कृषि संचालनालय, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर।
25. टेक्नीकल डायरेक्टर, एन.आई.सी., मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर। उपरोक्त हेतु आवश्यकतानुसार सॉफ्टवेयर तैयार करने हेतु प्रेषित ।
26. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, रायपुर ।
27. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
28. समस्त जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लि. छत्तीसगढ़ ।
29. समस्त जिला विपणन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ छत्तीसगढ़ ।


साक्षि

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

NOTES APPLICABLE TO THE SPECIFICATION OF GRADE 'A' AND COMMON VARIETIES OF RICE.

1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed as given in Bureau of Indian Standard "Method of analysis for Foodgrains" No's IS: 4333 (Part-I):1996 and IS: 4333 (Part- II): 2002 "Terminology for Foodgrains" IS: 2813-1995 as amended from time to time. Dehusked grains are rice kernels whole or broken which have more than 1/4th of the surface area of the kernel covered with the bran and determined as follows:-

ANALYSIS PROCEDURE:- Take 5 grams of rice (sound head rice and brokens) in a petri dish (80X70 mm). Dip the grains in about 20 ml. of Methylene Blue solution (0.05% by weight in distilled water) and allow to stand for about one minute. Decant the Methylene Blue solution. Give a swirl wash with about 20 ml. of dilute hydrochloric acid (5% solution by volume in distilled water). Give a swirl wash with water and pour about 20 ml. of Metanil Yellow solution (0.05% by weight in distilled water) on the blue stained grains and allow to stand for about one minute. Decant the effluent and wash with fresh water twice. Keep the stained grains under fresh water and count the dehusked grains. Count the total number of grains in 5 grams of sample under analysis. Three brokens are counted as one whole grain.

CALCULATIONS:

$$\text{Percentage of Dehusked grains} = \frac{N \times 100}{W}$$

Where, N = Number of dehusked grains in 5 grams of sample

W = Total grains in 5 grams of sample.

2. The Method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard "Method of sampling of Cereals and Pulses" No IS: 14818-2000 as amended from time to time.
3. Brokens less than 1/8th of the size of full kernels will be treated as organic foreign matter. For determination of the size of the broken average length of the principal class of rice should be taken into account.
4. Inorganic foreign matter shall not exceed 0.25% in any lot, if it is more, the stocks should be cleaned and brought within the limit. Kernels or pieces of kernels having mud sticking on surface of rice, shall be treated as Inorganic foreign matter.
5. In case of rice prepared by pressure parboiling technique, it will be ensured that correct process of parboiling is adopted i.e. pressure applied, the time for which pressure is applied, proper gelatinisation, aeration and drying before milling are adequate so that the colour and cooking time of parboiled rice are good and free from encrustation of the grains.

Beau
28/9/2010

**UNIFORM SPECIFICATION FOR GRADE 'A' & 'COMMON' RICE
(KHARIF MARKETING SEASON 2020-2021)**

Rice shall be in sound merchantable condition, sweet, dry, clean, wholesome, of good food value, uniform in colour and size of grains and free from moulds, weevils, obnoxious smell, admixture of unwholesome poisonous substances, *Argemone mexicana* and *Lathyrus sativus* (Khesari) in any form, or colouring agents and all impurities except to the extent in the schedule below. It shall also conform to prescribed norms under Food Safety & Standards Act, 2006/Rules prescribed hereunder.

SCHEDULE OF SPECIFICATION

| S. No | Refractions | | Maximum Limit (%) | |
|-------|-------------------------------------|---|-------------------|--------|
| | | | Grade 'A' | Common |
| 1. | Brokens* | Raw | 25.0 | 25.0 |
| | | Parboiled/single parboiled rice | 16.0 | 16.0 |
| 2. | Foreign Matter** | Raw / Parboiled / single parboiled rice | 0.5 | 0.5 |
| 3. | Damaged # / Slightly Damaged Grains | Raw | 3.0 | 3.0 |
| | | Parboiled/ single parboiled rice | 4.0 | 4.0 |
| 4. | Discoloured Grains | Raw | 3.0 | 3.0 |
| | | Parboiled/ single parboiled rice | 5.0 | 5.0 |
| 5. | Chalky Grains | Raw | 5.0 | 5.0 |
| 6. | Red Grains | Raw/Parboiled/Single parboiled rice | 3.0 | 3.0 |
| 7. | Admixture of lower class | Raw/Parboiled/Single parboiled rice | 6.0 | - |
| 8. | Dehusked Grains | Raw/Parboiled/Single parboiled rice | 13.0 | 13.0 |
| 9. | Moisture content @ | Raw/Parboiled/Single parboiled rice | 14.0 | 14.0 |
| 10. | FRK (Fortified Rice Kernel) | In case of procurement of fortified rice stock, 1% of FRK (w/w) should be blended with normal rice stock. | | |

* Not more than 1% by weight shall be small broken.

** Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by weight shall be impurities of animal origin.

Including pin point damaged grains.

@ Rice (both Raw & Parboiled/Single Parboiled) can be procured with moisture content upto a maximum limit of 15% with value cut. There will be no value cut upto 14%. Between 14% to 15% moisture, value cut will be applicable at the rate of full value.

(Signature)
8/19/2020

**STANDARDS OF RICE FOR ISSUE TO STATE GOVERNMENTS/
UT ADMINISTRATIONS FOR DISTRIBUTION UNDER TPDS AND
OTHER WELFARE SCHEMES.**

Guidelines for issue/disposal of wheat and rice have been issued vide Department letter No 8-2/98-DR/III dated 27.01.1998 and 13.11.1998. Gist of standards of rice for issue to States/UTs for distribution under TPDS and QWSS along with updated illustrations for KMS 2020-21 is as under:

1. Ready issuable stocks are fit for human consumption which should conform the standards of Food Safety and Standards Act and Rules framed there under.
2. Rice stocks are falling within A, B & C categories (categorization is based on damaged and discolored grains) conforming to food safety norms and free from insect infestation are ready stocks. Ready stocks may be issued under TPDS and QWSS provided the refractions in respect of broken grains, chalky grains, red grains and dehusked grains are upto 20% in excess of the uniform specifications.

Illustration of maximum permissible parameters of ready to issue stocks of rice based on uniform specifications for KMS 2020-21 is as under:

| S.No | Refraction | Maximum limit (%) as per uniform specifications for Grade 'A' & Common | Maximum permissible limit (%) for Grade 'A' & Common |
|------|---|--|--|
| 1 | Damaged/Slightly Damaged/Point Damaged Grains | Raw | 5 |
| | Parboiled/Single Parboiled Rice | 4 | 5 |
| 2 | Discolored Grains | Raw | 7 |
| | | Parboiled/Single Parboiled Rice | 7 |
| 3 | Broken | Raw | 30 |
| | | Parboiled/Single Parboiled Rice | 19 |
| 4 | Chalky Grains | Raw | 6 |
| 5 | Red Grains | Raw/Parboiled/Single Parboiled Rice | 4 |
| 6 | Dehusked Grains | Raw/Parboiled/Single Parboiled Rice | 16 |
| 7 | Foreign Matter | Raw/Parboiled/Single Parboiled Rice | 1.0 |


 28/9/2020

1)

UNIFORM SPECIFICATION OF ALL VARIETIES OF PADDY
(KHARIF MARKETING SEASON 2020-2021)

Paddy shall be in sound merchantable condition, dry, clean, wholesome of good food value, uniform in colour and size of grains and free from moulds, weevils, obnoxious smell, *Argemone mexicana*, *Lathyrus sativus* (Khesari) and admixture of deleterious substances.

Paddy will be classified into Grade 'A' and 'Common' groups.


SCHEDULE OF SPECIFICATION

| S. No | Refractions | Maximum Limit (%) |
|-------|---|-------------------|
| 1. | Foreign matter a) Inorganic b) Organic | 1.0 1.0 |
| 2. | Damaged, discoloured, sprouted and weevilled grains | 5.0* |
| 3. | Immature, Shrunken and shrivelled grains | 3.0 |
| 4. | Admixture of lower class | 6.0 |
| 5. | Moisture content | 17.0 |

* Damaged, sprouted and weevilled grains should not exceed 4%.

N. B.

1. The definitions of the above refractions and method of analysis are to be followed as per BIS 'Method of analysis for foodgrains' Nos. IS: 4333 (Part -I): 1996, IS: 4333 (Part-II): 2002 and 'Terminology for foodgrains' IS: Nos.2813-1995, as amended from time to time.
2. The method of sampling is to be followed as per BIS method for sampling of Cereals and Pulses IS: 14818-2000 as amended from time to time.
3. Within the overall limit of 1.0% for organic foreign matter, poisonous seeds shall not exceed 0.5% of which Dhatura and Akra seeds (*Vicia* species) not to exceed 0.025% and 0.2% respectively.


28/9/2020

No.8-4/2020-S&I
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

Krishi Bhawan, New Delhi

Dated: 28.09.2020

To,

The Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
Government of.....
(All State Governments/UT Administrations)

Sub: Uniform specifications of paddy, rice and coarse grains for Kharif Marketing Season 2020-21 for central pool procurement-reg.

Sir,


I am directed to forward herewith the uniform specifications of paddy, rice and coarse grains for procurement under Central Pool during Kharif Marketing Season (KMS) 2020-21.

It is requested that wide publicity of the Uniform Specifications be made among the farmers in order to ensure that they get due price for their produce and rejection of the stocks is avoided. The procurement of paddy, rice and coarse grains during KMS 2020-21 may be ensured by all the States/Union Territories and Food Corporation of India strictly in accordance with the uniform specifications.

Further, standards of rice for issue to States/UTs for distribution under TPDS and Other Welfare Schemes based on the uniform specifications of rice for KMS 2020-21 are also enclosed.

Encl: As above.

Yours faithfully,



(Vishwajeet Halder)
Deputy Commissioner (S&R)
Tele # 23384784

Copy to: -

1. The Chairman and Managing Director, Food Corporation of India (FCI), New Delhi.
2. Executive Director (Commercial)/Executive Director (QC), FCI HQ, New Delhi.
3. General Manager (QC)/GM (Marketing & Procurement), FCI, HQ, New Delhi.
4. All Executive Director (Zones), FCI.
5. Managing Director, CWC, New Delhi.
6. The Secretary, Department of Agri. & Coop, Krishi Bhawan, New Delhi.
7. Sr. PPS to Secretary (F&PD)/PPS to AS&FA/JS (P&FCI)/JS (Impex, SRA & EOP) / JS (Sig.)/JS (BP&PD).
8. Director (P)/Director (FCI)/Director (PD)/Director (Finance)/DC (S&R).
9. All QCC/IGMRI offices.
10. US (Py. I, II, III, IV)/US (FC A/c).
11. AD (S&I)/AD (QC)/AD (Lab).
12. Director (Technical), NIC with the request to put the information in the Ministry's website.

Copy to: -

1. The Chairman and Managing Director, Food Corporation of India (FCI), New Delhi.
2. Executive Director (Commercial)/Executive Director (QC), FCI HQ, New Delhi.
3. General Manager (QC)/GM (Marketing & Procurement), FCI, HQ, New Delhi.
4. All Executive Director (Zones), FCI.
5. Managing Director, CWC, New Delhi.
6. The Secretary, Department of Agri. & Coop, Krishi Bhawan, New Delhi.
7. Sr. PPS to Secretary (F&PD)/PPS to AS&FA/JS (P&FCI)/JS (Impex, SRA & EOP) / JS (Stg.)/JS (BP&PD).
8. Director (P)/Director (FCI)/Director (PD)/Director (Finance)/DC (S&R).
9. All QCC/AGMRI offices.
10. US (Py. I, II, III, IV)/US (FC A/c).
11. AD (S&I)/AD (QC)/AD (Lab).
12. Director (Technical), NIC with the request to put the information in the Ministry's website.


20/09/2021.

(Dr. Preeti Shukla)
Assistant Director

No.8-4/2021-S&I
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 20th.09.2021

To,
The Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
Government of.....
(All State Governments/UT Administrations)

Sub: Uniform specifications of paddy, rice and coarse grains for Kharif Marketing Season (KMS) 2021-22 for central pool procurement-reg.

Sir,

This is in reference to the subject cited above and to say that it has been decided that the Uniform Specifications for paddy, rice and coarse grains for procurement under Central Pool during Kharif Marketing Season 2021-22 shall remain the same as conveyed for the Kharif Marketing Season 2020-21 vide this Ministry's letter No.8-4/2020-S&I dated 28.09.2020 and continue to be applicable unless otherwise communicated by Government of India. A copy of Uniform specifications of paddy, rice and coarse grains for procurement under Central Pool during Kharif Marketing Season (KMS) 2020-21 is enclosed for ready reference.

2. It is requested that wide publicity of the Uniform Specifications be made among the farmers in order to ensure that they get due price for their produce and rejection of the stocks is avoided. The procurement of paddy, rice and coarse grains during KMS 2021-22 may be ensured by all the States/Union Territories and Food Corporation of India strictly in accordance with the uniform specifications.

3. Further standards of rice for issue to States/UTs for distribution under TPDS and Other Welfare Schemes based on the uniform specifications of rice for KMS 2021-22 are also enclosed.

4. Receipt of this communication may please be acknowledged.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Encl: as above

[Handwritten signature]
SSCF
[Handwritten signature]

ho.
22/9

क्रमांक..... 1663
स. (का.) खा.आ. एवं उप. संर.वि.
दिनांक..... 20/09 2021

- PS
Pl. rat wr
[Handwritten signature]
24/9/21

Yours faithfully

[Handwritten signature]
(Dr. Preeti Shukla)
Assistant Director
Tele # 23384784

UNIFORM SPECIFICATION FOR MAIZE
(KHARIF MARKETING SEASON 2020-2021)

The maize shall be the dried and matured grain of *Zea mays*. It shall have uniform shape and colour. It shall be in sound merchantable condition and also conforming to prescribed norms under Food Safety & Standards Act, 2006/Rules prescribed hereunder.

Maize shall be sweet, hard, clean, wholesome and free from *Argemone mexicana* and *Lathyrus sativus* (khesari) in any form, colouring matter, moulds weevils, obnoxious smell, admixture of deleterious substances and all other impurities except to the extent indicated in the schedule below:


SCHEDULE OF SPECIFICATION

| S. No. | Refractions | Maximum Limits (%) |
|--------|--|--------------------|
| 1. | Foreign matter* | 1.0 |
| 2. | Other foodgrains | 2.0 |
| 3. | Damaged grains | 1.5 |
| 4. | Slightly damaged, discoloured and touched grains | 4.5 |
| 5. | Shrivelled & Immature grains | 3.0 |
| 6. | Weevilled grains | 1.0 |
| 7. | Moisture content | 14.0 |

* Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by weight shall be impurities of animal origin.

N.B.

1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed as given in Bureau of Indian Standard 'Method of Analysis for Foodgrains' Nos. IS: 4333 (Part-I): 1996 and IS: 4333 (Part-II): 2002 and 'Terminology for foodgrains' IS: 2813- 1995 as amended from time to time.
2. The method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard 'Method of sampling of cereals and pulses' No. IS: 14818-2000 as amended from time to time.
3. Within the overall limit of 1.0% for foreign matter, the poisonous seeds shall not exceed 0.5% of which Dhatura and Akra Seeds (*Vicia species*) not to exceed 0.025% and 0.2% respectively.
4. The small sized maize grains, if the same are otherwise fully developed, should not be treated as shrivelled and immature grains.


28/9/2020

वर्ष 2021-22 में मंडी/उपमंडी प्रांगणों में धान उपाजर्जन केन्द्रों की सूची

| क्र. | जिले का नाम | क्र. | मण्डी / उपमण्डी | | |
|------|-------------|------|------------------|------|--------------------------|
| | | | मण्डी | क्र. | उपमण्डी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | - | 1 | सिलयारी (रायपुर) |
| 1 | रायपुर | 1 | नवापारा | | - |
| | | 2 | आरग | | - |
| | | 3 | नेवरा | 2 | खरोरा (नेवरा) |
| | | 4 | अभनपुर | | - |
| 2 | बलौदा बाजार | | - | 3 | सिमगा (भाटापारा) |
| | | 5 | बलौदाबाजार | 4 | पलारी/रसौटा (बलौदाबाजार) |
| | | 6 | भटगांव | 5 | पनगांव (बलौदाबाजार) |
| 3 | गरियाबंद | 7 | गरियाबंद | 6 | सरसीवा (भटगांव) |
| | | 8 | राजिम | 7 | छुरा (गरियाबंद) |
| 4 | महासमुद | | - | 8 | देवभोग (गरियाबंद) |
| | | 9 | महासमुद | 9 | झलप (महासमुद) |
| | | 10 | बागबहरा | 10 | भोरिंग (महासमुद) |
| | | 11 | सरायपाली | 11 | - |
| | | 12 | बसना | 12 | बलौदा (सरायपाली) |
| | | 13 | पिथौरा | 13 | तोषगांव (सरायपाली) |
| | | | - | 14 | भंवरपुर (बसना) |
| 5 | धमतरी | | - | 15 | सिधनपुर (बसना) |
| | | 14 | कुरुद | 16 | भुरकोनी (पिथौरा) |
| | | | - | 17 | पिरदा (पिथौरा) |
| | | 15 | नगरी | 18 | आमदी (धमतरी) |
| | | | - | 19 | छाती (धमतरी) |
| | | | - | 20 | मगरलोड (कुरुद) |
| | | | - | 21 | सिरी (कुरुद) |
| | | | - | 22 | भेण्डी (कुरुद) |
| 6 | बालोद | | - | 23 | रिसगांव (नगरी) |
| | | 16 | बालोद | 24 | बेलरबाहरा (नगरी) |
| | | | - | 25 | गट्टासिल्ली (नगरी) |
| 7 | बेमेतरा | | - | 26 | डौंडी लोहारा (बालोद) |
| | | | - | 27 | डौंडी (बालोद) |
| | | | - | 28 | गुरुर (बालोद) |
| | | | - | 29 | धान खम्हरिया (बेमेतरा) |
| | | | - | 30 | साजा (बेमेतरा) |
| | - | 31 | बेरला (बेमेतरा) | | |
| | - | 32 | नवागढ़ (बेमेतरा) | | |
| | - | | - | | दाढ़ी (बेमेतरा) |

Handwritten signature/initials

| क्र. | जिले का नाम | क्र. | मण्डी / उपमण्डी | | |
|------|-------------|------|-----------------|------|---------------------|
| | | | मण्डी | क्र. | उपमण्डी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | राजनांदगांव | 18 | डोगरगांव | | - |
| | | 19 | बांधाबाजार | | - |
| | | 20 | गण्डई | | - |
| 9 | कबीरधाम | 21 | कवर्धा | 33 | पिपरिया (कवर्धा) |
| | | 22 | पण्डरिया | 34 | कुण्डा (पण्डरिया) |
| 10 | बिलासपुर | 23 | बिलासपुर | 35 | बिल्हा (बिलासपुर) |
| | | 24 | तखतपुर | 36 | बेलतरा (बिलासपुर) |
| | | 25 | कोटा | | - |
| | | 26 | जयरामनगर | | - |
| | | 27 | पेण्डारोड | | - |
| | | | - | 37 | रतनपुर (कोटा) |
| | | | - | 38 | सरगांव (मुंगेली) |
| 11 | मुंगेली | | - | 39 | पथरिया (मुंगेली) |
| | | 28 | लोरमी | | - |
| 12 | जांजगीर | | - | 40 | शिवरीनारायण (नैला) |
| | | | - | 41 | बलौदा (नैला) |
| | | | - | 42 | राहौद (अकलतरा) |
| | | | - | 43 | बाराहार (सक्ती) |
| | | 29 | चांपा | 44 | बिरा (चांपा) |
| | | | - | 45 | घद्रपुर (आमनदुला) |
| | | | - | 46 | कोटमी (आमनदुला) |
| | | 30 | आमनदुला | | - |
| | | 31 | जैजैपुर | | - |
| | | | - | 47 | हसौद (जैजैपुर) |
| 13 | कोरबा | | - | 48 | भैसमा (कटघोरा) |
| | | | - | 49 | पुसौर (रायगढ़) |
| 14 | रायगढ़ | 32 | रायगढ़ | 50 | चिखली (रायगढ़) |
| | | 33 | सारंगढ़ | 51 | केडार (सारंगढ़) |
| | | 34 | बरमकेला | 52 | सरिया (बरमकेला) |
| | | | - | 53 | सलिहामाठा (घरघोड़ा) |
| | | | - | 54 | धरमजयगढ़ (घरघोड़ा) |
| 15 | सरगुजा | 35 | अंबिकापुर | 55 | ककनी (अंबिकापुर) |
| 16 | जशपुर | 36 | जशपुर | 56 | कुनकुरी (जशपुर) |
| | | | - | 57 | कोतबा (पत्थलगांव) |
| | | | - | 58 | उदयपुर (अंबिकापुर) |
| 17 | सूरजपुर | 37 | सूरजपुर | | - |
| | | 38 | प्रतापपुर | | - |
| 18 | बलरामपुर | 39 | रामानुजगंज | 59 | बरियों (कुसमी) |
| | | 40 | कुसमी | 60 | राजपुर (कुसमी) |

| क्र. | जिले का नाम | क्र. | मण्डी / उपमण्डी | | |
|------|-------------|------|-----------------|---------|----------------------|
| | | | मण्डी | उपमण्डी | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | कोरिया | 41 | बैकुण्ठपुर | | - |
| | | 42 | मनेन्द्रगढ़ | | - |
| 20 | जगदलपुर | | - | 61 | जैतगिरि (जगदलपुर) |
| | | | | 62 | तोकापाल (जगदलपुर) |
| | | | | 63 | बस्तर (जगदलपुर) |
| | | | | 64 | देवडा (जगदलपुर) |
| | | | | 65 | कुकानार (जगदलपुर) |
| | | | | 66 | फरसगांव (कोण्डागांव) |
| 21 | कोण्डागांव | 43 | केशकाल | 67 | धनोरा (केशकाल) |
| | | | - | 68 | विश्रामपुरी (केशकाल) |
| | | | | 69 | गम्हरी (केशकाल) |
| | | | | 70 | अमोडा (कांकेर) |
| 22 | कांकेर | 44 | कांकेर | 71 | सरोना (कांकेर) |
| | | | | 72 | बारदेवरी (कांकेर) |
| | | 45 | चारामा | 73 | लखनपुरी (चारामा) |
| | | | | 74 | नरहरपुर (चारामा) |
| | | 46 | संबलपुर | 75 | कोरर (संबलपुर) |
| | | 47 | पखाजूर | 76 | अंतागढ (पखाजूर) |
| 23 | दंतेवाड़ा | 48 | गीदम | | - |

lf
JDF

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान उपार्जन एवं निरारक्षण की कार्ययोजना

| क्र. वि.ला | खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में अनुमानित धान उपार्जन | खरीफ के जिले के समिति से मिलने वाले धान | | अन्य जिले के धान | | समिति से मिलने वाले धान कुल उपार्ज | राष्ट्रीय कंपनी में निरारक्षण | | अन्य जिले एवं राष्ट्रीय कंपनी में धान कुल धान | आरक्षित राष्ट्रीय धान का संतुलन | आरक्षित धान का संतुलन |
|------------|--|---|-------------|------------------|-------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|
| | | भाग | जिले का नाम | भाग | भाग | | भाग | भाग | | | |
| 1 | बलरघर | 162744 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 87744 | 0 | 167405 | 182058 | 89922 |
| 2 | बाजपुर | 68784 | 4430 | 0 | 0 | 4430 | 0 | बलरघर | 0 | 2968 | 0 |
| 3 | दलबहादुर | 18606 | 2210 | 0 | 0 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 |
| 4 | कांकेर | 338327 | 110000 | एमरती | 70000 | 180000 | 108327 | 50000 | 108327 | 79575 | 66704 |
| 5 | कांकेर | 163697 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 92697 | 0 | 93697 | 52358 | 57319 |
| 6 | राजसमपुर | 22300 | 10800 | 0 | 0 | 10800 | 11500 | 0 | 11500 | 11263 | 3678 |
| 7 | सुकमा | 43917 | 14400 | 0 | 0 | 14400 | 29517 | 0 | 29517 | 22928 | 6406 |
| 8 | बिलासपुर | 514753 | 270000 | 0 | 0 | 270000 | 244753 | 0 | 277061 | 175260 | 211371 |
| 9 | गौरागढ़ | 85469 | 72341 | 0 | 0 | 72341 | 13128 | 0 | 13128 | 36595 | 20669 |
| 10 | जालगीरचाम्पा | 910973 | 550000 | करवा | 50000 | 600000 | 310973 | 0 | 310973 | 159103 | 417749 |
| 11 | कोरबा | 154344 | 154344 | 0 | 0 | 154344 | 0 | 0 | 0 | 92485 | 44426 |
| 12 | मुंगेली | 412308 | 150000 | बिलासपुर | 30000 | 180000 | 50000 | राजसमपुर-150000 बिलासपुर-32808 | 182308 | 71788 | 62212 |
| 13 | राजसमपुर | 608735 | 370000 | 0 | 0 | 370000 | 238735 | 0 | 238735 | 332770 | 275083 |
| 14 | बालाघर | 595278 | 220000 | एमरती | 50000 | 270000 | 275278 | एमरती | 50000 | 275278 | 255994 |
| 15 | बालाघर | 870534 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 50000 | 0 | 50000 | 92288 | 41712 |
| 16 | दरभंगा | 464784 | 430000 | 0 | 0 | 430000 | 34784 | 0 | 515318 | 148166 | 538817 |
| 17 | कांकेर | 448949 | 170000 | 0 | 0 | 170000 | 165479 | राजसमपुर-85470 | 113470 | 165479 | 146868 |
| 18 | राजसमपुर | 867834 | 310000 | 0 | 0 | 310000 | 507834 | 0 | 507834 | 141178 | 420171 |
| 19 | बालाघर | 763799 | 240000 | राजसमपुर | 50000 | 290000 | 100000 | राजसमपुर | 373799 | 141080 | 83820 |
| 20 | एमरती | 488062 | 488062 | 0 | 0 | 488062 | 0 | 0 | 100000 | 77722 | 430179 |
| 21 | गौरागढ़ | 369210 | 150000 | एमरती | 30000 | 180000 | 189210 | 0 | 189210 | 56933 | 170318 |
| 22 | राजसमपुर | 854778 | 420000 | एमरती | 20000 | 440000 | 416778 | 0 | 416778 | 97832 | 462810 |
| 23 | राजसमपुर | 574728 | 574728 | 0 | 0 | 574728 | 0 | 0 | 577269 | 78343 | 610714 |
| 24 | बलरघर | 178351 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 58351 | 0 | 58351 | 78343 | 41152 |
| 25 | राजसमपुर | 133404 | 133404 | 0 | 0 | 133404 | 0 | 0 | 0 | 78343 | 11069 |
| 26 | कोरबा | 133935 | 133935 | 0 | 0 | 133935 | 0 | 0 | 96645 | 81507 | 33303 |
| 27 | राजसमपुर | 206645 | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 96645 | 0 | 110649 | 63342 | 56945 |
| 28 | राजसमपुर | 240649 | 130000 | 0 | 0 | 130000 | 110649 | 0 | 110649 | 110649 | 95893 |
| 29 | कोरबा | 1049930 | 565683 | 0 | 0 | 565683 | 319384 | 0 | 1269861 | 448245 | 463333 |

टीप-1. उपरोक्त कार्ययोजना में परिशिष्टित अनुसार प्रत्येक संश्लोक शर्तकेक द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा। विभागीय धाना शासन को ही पारोणी।
2. बलरघर जिले के धान कुल धान के लक्ष्य अंशोत्तर धान के जिले से धान उपार्जन कर 8850 मी.टन भारत बंधुधारा में धान किया जाएगा।

राजसमपुर (बलरघर)
19/11/21

412/2002-4

No.15-8/2004-Py.III(Pl.)
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

Krishi Bhawan, New Delhi.
Dated 18th May, 2017

To

1. The Principal Secretary/ Secretary (Food), Governments of Andhra Pradesh, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Odisha, Rajasthan, Telangana, Tamil Nadu, Uttarakhand, Haryana, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and West Bengal.
2. The Joint Secretary (Jute), Ministry of Textiles, Udyog Bhawan, New Delhi.
3. The CMD, FCI-HQ, New Delhi.
4. The Jute Commissioner, Kolkata.
5. Director General (S&D), DGS&D, New Delhi.

Subject: Guidelines to provide usage charges for packaging of procured paddy.

Sir,

I am directed to refer to the "Guidelines for use of Paddy released jute Bags which have been used only once for procurement of wheat, coarse grains & paddy regarding amendment in gunny depreciation" issued vide this department letter of even no. dated 04.02.2016 which has now been revised as given below.

2. The revised guidelines to provide usage charges for packaging of procured paddy has been approved by the Competent Authority. The same is enclosed herewith for further necessary action.

Encl: As above.

Yours faithfully,

23 MAY 2017

| | | |
|-------------------------------------|-------------|--------|
| क्र.सं.क | 198 | पं.सं. |
| आदेश, छाद्य, नाग.आ. एवं उ.सं. विभाग | | |
| दिनांक | 23 MAY 2017 | 2017 |

(Brij Bihari Dal)
Under Secretary (Py.III)
Ph: 011-23384448

Copy To:

1. Joint Secretary (BP&PD).
2. Joint Secretary (Impex, SRA & EOP&IC).
3. DS (Finance).
4. PS to JS (P&FCI).
5. PI Cell, FC A/Cs Section.

TL

PI Cell

in ha

SE (MS)

JS (AS)

Together

Revised Guidelines to provide usage charges for packaging of procured paddy:

- i) Once this policy comes into force, earlier policy of once used gunny bags issued vide letter no. 15-8/2004.Py.III(Pt.) dated 04.02.2016 will be superseded.
- ii) Only new jute bags shall be made available for packaging of the quantum of rice to be procured under central pool.
- iii) These new jute bags shall be used for packaging of procured paddy along with the old bags subject to the condition that at least half of the procured paddy is to be filled in new jute bags in which rice is to be delivered after milling. The packaging of food grains during procurement should be ensured as per provisions of Jute Packaging Materials Act, 1987 (JPMA).
- iv) Old or any type of bags, irrespective of their marketing season, are permitted for packaging of procured paddy during procurement operation subject to condition that there is no loss of paddy in terms of quality and quantity. In case, any loss is experienced, it will be solely on account of State Government.
- v) Arrangement of any type of bags for packaging of procured paddy shall be the responsibility of concerned state Governments and their agencies.
- vi) For packaging of procured paddy in any type of bags during procurement operation, only usage charges shall be allowed in provisional cost sheet to State Government and will be fixed by Govt from time to time.

Handwritten signature and date:
18/5/2013

No. 15-8/2021-Py.III-Pt.1(E.376094)
 Government of India
 Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
 Department of Food & Public Distribution

Krishi Bhavan, New Delhi.
 Date: 12/11/2021

To,

- 1.The Principal Secretary/ Secretary (Food), State Govt. of Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal.
2. The ED (Purchase), FCI, HQ, New Delhi

Subject: 7th (Revised) Supply plan for food grain packaging material for KMS 2021-22

Sir/ Madam,

I am directed to refer to the 6th Supply plan of packaging material for KMS 2021-22 issued by this Department vide letter No. 15-8/2021-Py.III-Pt(1)(E.376094) dated 11.10.2021 and to say that in view of the request by State Govt. of Tripura, the supply plan has been revised taking into the requirement of packaging materials received from State Govts. & FCI, previously approved supply plan, estimated procurement target, indents placed by the States/FCI, and limited capacity of production by Jute mills. Due to shortage of new Jute bags and low manufacturing capacity of jute mills, State Govts. & FCI have been allocated food grain packaging material proportionally.

2. Accordingly, necessary changes in the supply plan for KMS 2021- 22 have been made and circulated for necessary action at the end of respective stakeholders. State Govts. & FCI are requested to place the indents with funds strictly as per supply plan without any delay and take all necessary steps to arrange packaging material so that procurement operations are not affected adversely. Excess indents should also not be placed, placement for indents should be for the following month (for allocation of Nov., 2021 indent to be placed in Oct., 2021) only and should not exceed that.

3. As non placement of indents leads to bunching of orders and disrupt the supply plan, therefore, such defaulting States which delay or do not place indents timely, their allocation of jute bales would be transferred to other needy States or pushed back to later

3023
 स. (क.) खा.प.भा. एवं उ. सं.वि.
 22/11/2021
 दिनांक

SS(F)
 JS

me
 23/11

DS
 g
 24/11/21 -33-

months. No request for restoration of the transferred/pushed back requirement would be entertained. It has also been noted that some States have been projecting exaggerated requirement, which may lead to excess placement of indent and funds being got stuck, on subsequent downward revision in Supply plan. Further this also deprives needy States of packaging material. Therefore, States are advised to indicate fair and reasonable requirement of bales or requirement based on food grain procurement estimates approved by this Dept.

4. For the States procuring paddy/rice, the permission as per enclosed supply plan is granted to use HDPE/PP bags on their own request for procurement of paddy and resultant rice after milling with a condition that the CMR kept in the HDPE/PP bags should be utilized in PDS within the State on priority and FCI will not accept rice in HDPE/PP bags. In case of deterioration in quality of paddy and/or rice owing to packaging in HDPE/PP bags and resultant financial implications, if any, GoI will not be in any way responsible for the same/any other issue arising out of this permission. Similarly, for States procuring coarse grain in HDPE/PP bags, the permission as per enclosed supply plan is granted to use HDPE/PP bags on their own request with a condition that the coarse grain kept in the HDPE/PP bags should be utilized in PDS within the State on priority and FCI will not accept coarse grain in HDPE/PP bags. In case of deterioration in quality of coarse grain owing to packaging in HDPE/PP bags and resultant financial implications, if any, GoI will not be in any way responsible for the same/any other issue arising out of this permission. HDPE/PP bags should be procured through GeM only.

5. All State Govts./FCI are requested to follow the laid down existing Principles and guidelines issued by this Department regarding Usage Charges for packaging of procured paddy/procurement of packaging material, which are revised from time to time and issued vide this Department letter No.15-8/2004-Py.III(Pt.) dated 18.05.2017, No.15-8/2004-Py.III(Pt.) dated 05.10.2017 & No.15-14/2018-Py.III dated 13.12.2018.

6. State Govts./FCI are requested to consider alternative sources of packaging material such as use of good quality used bags and HDPE/PP bags in KMS 2021-22 and send their proposal to this Department.

7. This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully

Encl: As above

Signed by Rakesh Kumar
Meena

Date: 12-11-2021 16:18:41

Reason: Approved
(Rakesh Kumar Meena)

Director to the Government of India

Phone: 011-23382533

Copy To:

- i. The CMD, FCI, HQ, New Delhi.
- ii. Joint Secretary (Jute), Ministry of Textiles, Udyog Bhawan, New Delhi.
- iii. The Office of Jute Commissioner, Kolkata.
- iv. The CEO, GeM, New Delhi.
- v. Chairman, Indian Jute Mills Association, Kolkata.
- vi. President, All Indian Flat Tape Manufacturers' Association, New Delhi.
- vii. Managing Director, CONCOR, New Delhi

| 7th (Revised) Month-wise Supply Schedule of Bags for KMS 2021-22 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|----------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| S.N | State | Estimated foodgrain procurement (in terms of rice) (LMT) | Requirement of bags as per procurement target | Procurement Period | Requirement of new bags indicated by States | No. of unused bags of previous season | June 21 | July 21 | Aug 21 | Sep 21 | Oct 21 | Nov 21 | Dec 21 | Total new bags allocated |
| 1 | Andhra Pradesh (Jute) | 42 | 1.76 | 01.10.21 to 31.03.22 | 2.00 | Jute | 0.20 | 0.06 | 0.31 | 0.40 | 0.17 | 0.31 | 0.24 | 1.45 |
| 2 | Bihar (Jute) | 30 | 1.26 | 01.11.21 to 15.02.22 | 1.20 | HDPPE | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.27 | 0.24 | 0.99 |
| 3 | Chhattisgarh (Jute) | 61.65 | 2.59 | 01.11.21 to 31.01.22 | 2.83 | | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.32 | 0.72 | 0.15 | 0.76 | 2.14 |
| 4 | Goa (Jute) | 5.95 | 0.25 | | 0.25 | | | | 0.01 | | | | 0.04 | 0.25 |
| 5 | Gujarat (Jute) | 1.14 | 0.05 | 16.10.21 to 31.12.21 | 0.11 | | | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.90 |
| 6 | Haryana (Jute) | 40 | 1.68 | 25.09.21 to 15.11.21 | 1.85 | | | 0.19 | 0.40 | 0.44 | 0.29 | 0.07 | 0.18 | 1.39 |
| 7 | Uttarakhand (Jute) | 6.8 | 0.29 | 15.11.21 to 31.03.22 | 0.27 | | | | 0.01 | 0.24 | 0.09 | 0.26 | 0.31 | 0.27 |
| 8 | Madhya Pradesh (Jute) | 30.15 | 1.27 | 01.11.21 to 15.02.22 | 1.70 | | | | | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 1.05 |
| 9 | Maharashtra (Jute) | 10.67 | 0.45 | 01.10.21 to 31.03.22 | 0.45 | | | | | | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 0.45 |
| 10 | Odisha (Jute) | 4.3 | 1.80 | 01.11.21 to 31.03.22 | 1.80 | | 0.80 | 0.84 | 1.07 | 0.83 | 0.22 | 0.48 | 0.78 | 1.49 |
| 11 | Punjab (Jute) | 1.13 | 4.75 | 01.10.21 to 30.11.21 | 5.38 | | | | 0.07 | | 0.14 | 0.20 | 0.29 | 3.93 |
| 12 | Rajasthan (Jute) | 20.32 | 0.85 | 01.10.21 to 31.03.22 | 1.35 | | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.32 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 1.39 |
| 13 | Telangana (Jute) | 40 | 1.68 | 01.10.21 to 31.01.22 | 2.70 | | | | | 0.32 | 0.33 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 14 | Tripura (Jute) | 0.134 | 0.005 | 01.12.21 to 31.03.22 | 0.005 | | | | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 1.59 |
| 15 | Uttar Pradesh (Jute) | 46.9 | 1.97 | 01.10.21 to 28.02.22 | 1.92 | | 0.09 | 0.10 | 0.10 | | | | | 0.29 |
| 16 | Uttarakhand (Jute) | 7.79 | 0.33 | 01.10.21 to 31.01.22 | 0.50 | | | | | | | | | 0.29 |
| 17 | West Bengal (Jute) | 17.92 | 0.75 | 01.11.21 to 30.06.22 | 1.42 | | | | 0.05 | 0.31 | | 0.13 | 0.13 | 0.62 |
| Total | | 517.424 | 21.73 | | 25.738 | | 1.50 | 1.70 | 3.05 | 3.30 | 2.70 | 2.76 | 3.00 | 18.005 |
| | | Total Jute Bags for KMS 2021-22 | | | | | | | | | | | | |
| | | Total HDPPE/EP Bags for KMS 2021-22 | | | | | | | | | | | | |
| | | Net Total Bags for KMS 2021-22 | | | | | | | | | | | | |

*for coarage and procurement

26

No. 15-16/2021-Py.III-Part(2)(E.377810)
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

Krishi Bhawan, New Delhi.

Dated: 18/11/2021

To,
The Principal Secretary/ Secretary (Food),
State Govt. of Chhattisgarh,
Raipur

Subject: Regarding procurement of paddy in HDPE bags in KMS 2021-22.

Sir/Madam,

I am directed to refer to the request received from State Govts. of Chhattisgarh vide letter No.F 4-14/2020/29-1 dated 06.09.2021, F4-14/2020/29-1/PartV dated 17.09.2021 and F4-14/2020/29-1 dated 05.10.2021 requesting for grant of permission for procurement and utilization of new HDPE/PP bags for procurement of paddy in KMS 2021-22 in view of estimated shortage of bags for paddy procurement.

2. The matter has been examined in this Department, and it is informed that this Department had issued guidelines regarding procurement of paddy vide letter No.15-8/2004-Py.III (Pt.) dated 18.05.2017 (copy attached) allowing State Govts. to make arrangements of any type of bags for purchase of paddy. Further, the guidelines vide letter No.15- 14/2018-Py.III dated 13.12.2018 (copy attached) may also be referred to vide which usage charges of Rs 7.32/bag or actual, whichever is lower (subject to certain conditions) has been fixed.

3. State Govt. is advised to follow the laid down existing Principles and guidelines issued by this Department regarding procurement of paddy and Usage Charges for packaging of procured

paddy/procurement of packaging material, which are revised from time to time.

Encl: As above

Yours faithfully,

Signed by Rakesh Kumar
Meena

Date: 18-11-2021 18:49:34

Reason: Approved

(Rakesh Kumar Meena)

Director to the Government of India

Phone: 011-23382533

Copy to:

1.ED (Purchase), FCI HQ, New Delhi

Copy also to:

i.US (FC A/Cs), DFPD

ii.US (IFD), DFPD

42-17 (7)

No 15 (8)/2007-Py.III(Pt.)
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

Krishi Bhavan, New Delhi.
Dated ~~September~~ 5th October 2017

To

1. The Principal Secretary/ Secretary (Food), Governments of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Telangana, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal.
2. The CMD, FCI-HQ, New Delhi.

Subject: Revision of Usage charges for packaging of procured paddy for KMS 2017-18 as per existing guidelines.

I am directed to refer to this department letter of even no. dated 11.08.2017 wherein usage charges on the earlier recommendations from FCI @Rs 10/qtl for packaging of procured paddy as per existing guidelines were communicated.

2. Considering the requests regarding enhancement of usage charges made by States & on the basis of revised recommendations received from FCI, it is to inform that this department has decided to revise the usage charges for packaging of procured paddy for KMS 2017-18 to lower of the actual claim of State Govt or Rs 7.32/bag subject to the following conditions:

- a) The said usage charges shall be admissible subject to the State's Principal/Food Secretary or M.D of State Agency shall certify that for filling of paddy, the old bags arranged by the State/miller is being used only once after purchase. State shall also provide necessary supporting documents/certifications of gunny accounts.
- b) In case State fails to provide appropriate documentation/certification, the usage charges shall be limited to Rs 3.75/bag for packaging of procured paddy in old bags or actual claim whichever is lower.
- c) (i) The cost associated with proposed usage charges i.e Rs 7.32/bag shall be considered as per practice of filling of average 37.5 Kg paddy in a bag of 50 Kg capacity. In case State Govt fills more than 37.5 Kg paddy in a capacity of 50 kg jute bag, the actual number of old bags filled with paddy required for 1 quintal of CMR (after applying relevant OTR) shall be considered. For example, if State Govt actually fills 40 Kg paddy in 50 Kg capacity jute bags, the actual number of old bags considered shall be 1.73 bags for Raw-rice and 1.68 bags for parboiled rice after applying OTR of 0.67 & 0.68 respectively.
(ii) In case State Govt fills 37.5 Kg paddy or lesser than 37.5 kg paddy in a capacity of 50 Kg Jute bag, reimbursement w.r.t 1 quintal of CMR (considering OTR as 0.67) shall be considered for cost of 2 new bags & usage charges will be admissible for 1.98 old jute bags as per standard practice of filling average 37.5 Kg paddy in a capacity of 50 kg bag.
- d) The usage charge will be allowed for half of the quantity of paddy procured by State. Rest half of paddy is to be packed in new gunny bags in which rice is to be delivered subsequently.
- e) Provisions of GFR of 2005/2017 should be followed by States/FCI while arranging bags for packaging of procured paddy as per existing guidelines.

3. This issues with the approval of competent authority.

सचिव, खा. मा. आ. व. प. व. विभाग
दिल्ली-12-17-2017

17 OCT 2017

Handwritten signatures and initials:
J.S. (G.S.)
Rushad
U.S.
12/10/17

Yours faithfully,

Handwritten signature: Brij Bhan Lal
(Brij Bhan Lal)
Under Secretary (Py.III)
Ph: 011-23384448

UR/2018-8

No.15-14/2018-Py.III
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
Krishi Bhavan, New Delhi.

Dated Nov, 2018

13th Dec, 2018

To

1. The Principal Secretary/ Secretary (Food),
All States/UTs.
2. The CMD, FCI-HQ, New Delhi.

Subject: Usage charges for packaging of procured paddy for KMS 2018-19 onwards as per existing guidelines.

Sir/Madam,

I am directed to refer to this department letter no. 15-8/2004.Py.III(Pt.) dated 18.05.2017 wherein guidelines to provide usage charges for packaging of procured paddy were communicated.

2. Considering the requests made by States relating to practical problems faced by them w.r.t conditions specified in usage charge for KMS 2017-18 in letter dated 05.10.2017 and discussion held with the States, it is to inform that this Department has decided to fix the usage charges for packaging of paddy for KMS 2018-19 as Rs 7.32/bag or the actual cost incurred by the State Govt, if it is lower than Rs 7.32/bag subject to the following conditions:

a)The concerned Agency/State Government shall maintain a proper account of the number of used jute bags procured and used for packaging of paddy procured in a Procurement Season in the format enclosed as Annexure-I. The account of bags shall have to be maintained at the level of the miller/SPA, if the procurement of old bags is done by them, and after compilation of said information, the State shall have to provide the following declaration along with the consolidated account of bags while submitting the claim for usage charges:

"This is certified that account of gunny bags furnished in the format as prescribed in Annexure-I of letter no dated For KMS/..... is based on actual details of Gunny bags maintained by the State/SPA's/millers"

Signature:(SPA/Secretary (Food), State)

Full Name:



b) The claim of the State/UT for the reimbursement of usage charges shall not be considered if the State/UT fails to furnish the aforesaid undertaking/certificate and account of bags in prescribed format as per Annexure-I.

c) States/SPAs must keep the record of procurement of used bags, like work orders for the supply of used bags and payment vouchers. In case of used bags being procured by millers, the records in support of procurement shall be maintained by the millers and the records of procurement so maintained by millers/SPAs/State shall be available for the inspection by higher authorities of State/ Central Govt and Audit.

d) The cost associated with proposed usage charges i.e Rs 7.32/bag shall be considered as per practice of filling of average 37.5 Kg paddy in a bag of 50 Kg capacity. In case, State Govt fills more than 37.5 Kg paddy in a capacity of 50 kg jute bag, the actual number of old bags filled with paddy required for 1 quintal of CMR (after applying relevant OTR) shall be considered. For example, if State Govt actually fills 40 Kg paddy in 50 Kg capacity jute bags, the actual number of old bags considered shall be 1.73 bags for Raw-rice and 1.68 bags for parboiled rice after applying OTR of 0.67 and 0.68 respectively.

e) In case, State Govt fills 37.5 Kg paddy or lesser than 37.5 kg paddy in a capacity of 50 Kg Jute bag, reimbursement w.r.t 1 quintal of CMR (considering OTR as 0.67) shall be considered for cost of 2 new bags & usage charges will be admissible for 1.98 old jute bags as per standard practice of filling average 37.5 Kg paddy in a capacity of 50 kg bag.

f) Provisions of GFR of 2005/2017 should be followed by States/FCI while arranging bags for packaging of procured paddy as per existing guidelines.

g) Further, the competent authority of State Agency/Govt should also certify at the time of subsidy claim and settlement of claim that "the applicable terms and condition of usage charges which are modified from time to time as per DFPD order/letter for usage charges has been duly compiled by State Agency/Govt".

3. These instructions shall remain in force for KMS 2018-19 onwards.

4. This issues with the approval of competent authority.

Encl: As Above.

Jels
13.12.2018
Yours faithfully,
(Indrdeep Kandawal)
Under Secretary (Py.III)
Ph: 011-23384448

Copy To:

1. The Joint Secretary (Jute), Ministry of Textiles, Udyog Bhawan, New Delhi.
2. PPS to JS (P & FCI).
3. PS to Dir. (P.IV)
4. PS to Dir (FC A/C).
5. PS to Dir (Finance).
6. PI cell, DFPD.

—41—

Annexure-1

Procurement Season: KMS.....

| Quantity of paddy procured (1) | No. of new bags procured (2) | Actual cost of bags procured (3) | No. of new bags used for CMR (4) | No. of new bags that remained unused. (5) | No. of Old bags in stock | | No. of old bags used in the current season (7) | No. of old bags that remained unused (8) | Actual cost of unused bags (9) |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---|--|--|--------------------------------|
| | | | | | Carried over from previous season (6a) | Procured for the current season ** (6b) | | | |
| | | | | | | | | | |

Sd/-

Signed by competent authority of State Govt/Agency and Chartered Accountant

** Usage Charges shall be applicable for only 6b.



छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

कमांक एफ 4-14/2020/29-1

नवा रायपुर, 21 मई, 2021

आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु बारदाना व्यवस्था के संबंध में आरंभिक तैयारी अभी से किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में प्रचलित कोरोना महामारी के कारण यह संभावित है कि विगत वर्ष की भांति खरीफ वर्ष 2021-22 में नये जूट बारदानों की आपूर्ति खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार द्वारा राज्य की धान खरीदी के लिए आवश्यकता एवं मांग अनुसार न हो। उपरोक्त स्थिति में नये जूट बारदाने की आपूर्ति अपेक्षाकृत कम होने से उसकी पूर्ति पीडीएस के जूट बारदाने से करनी पड़ेगी। इसके लिए उचित मूल्य दुकानों में माह अप्रैल, 2021 में राशन वितरण के पश्चात बचत पीडीएस के जूट बारदानों को अभी से ही सुरक्षित रूप से रखा जाना आवश्यक है।

उपरोक्त स्थिति में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 11(11) के तहत यह निर्देशित किया जाता है कि शासकीय उचित मूल्य दुकान स्तर पर उपलब्ध पीडीएस बारदानों में खाद्यान्न वितरण के पश्चात धान खरीदी कार्य हेतु उपयोग के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु विक्रय पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोक लगायी जाती है। अतः पीडीएस बारदाने का उपयोग खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में केवल धान खरीदी हेतु ही किया जावेगा। उचित मूल्य दुकानों में संग्रहित पीडीएस बारदाने का धान खरीदी के दौरान उपलब्ध करायी जावे, इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

जिले में पीडीएस बारदाने के एकत्रीकरण कराने एवं समय-समय पर मॉनिटरिंग करने का कार्य कलेक्टर द्वारा की जावे। पीडीएस बारदाना एकत्रित, संग्रहित, सुरक्षित रखरखाव एवं वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य शासन की धान खरीदी हेतु एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) एवं समितियों की होगी। पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा समितियों में पीडीएस बारदाने को सुरक्षित रखने के संबंध में समुचित दिशा-निर्देश जारी किया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. कमलप्रतीत सिंह)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन


खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग

पृ. क्रमांक एफ 4-14/2020/29-1/

नवा रायपुर, दिनांक 21 मई, 2021

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर ।
2. सचिव, सहकारिता विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
3. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
4. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ ।
5. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नवा रायपुर, अटल नगर ।
6. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. नवा रायपुर अटल नगर ।
7. प्रबंध संचालक, अपैक्स बैंक, नवा रायपुर अटल नगर ।
8. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
9. टेक्नीकल डायरेक्टर, एन.आई.सी., मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर ।



सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान खरीदी हेतु पीडीएस बारदाने एकत्रीकरण एवं उपयोग के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत

1. जिले में खरीफ वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर अनुमानित धान उपार्जन के आधार पर पुराने बारदानों की आवश्यकता का आकलन कर लिया जावे ।
2. राशन दुकानों में पूर्व में भंडारित किये गये खाद्यान्न एवं आगामी समय में भण्डारित होने वाले खाद्यान्न का जूट बारदाना राशन वितरण के पश्चात राशन दुकानदारों द्वारा विक्रय न किया जावे । उक्त बारदानों को यथासंभव राशन दुकान में ही सुरक्षित रूप से संग्रहित कर रखा जावे ।
3. ऐसी प्राथमिक सहकारी समितियां जो धान खरीदी करती हैं एवं राशन दुकान भी संचालित करती हैं, उनके द्वारा राशन वितरण के पश्चात शेष बारदाने समिति स्तर पर ही सुरक्षित रखा जावे ।
4. जिले में राशन दुकान विभिन्न संस्थाओं जैसे - ग्राम पंचायत, महिला स्व सहायता समूह उपभोक्ता भंडार आदि के द्वारा संचालित किये जाते हैं। ऐसे राशन दुकानों के बारदानों को धान खरीदी हेतु निकटस्थ समिति को प्रदाय किया जाना होगा, इसके लिए समिति से संलग्न राशन दुकानों की मैपिंग खरीफ वर्ष 2020-21 में की गई थी । किसी भी परिस्थिति में राशन दुकानों में खाद्यान्न वितरण पश्चात शेष पुराने जूट बोरो का विक्रय दुकानों द्वारा नहीं किया जाएगा । जिला स्तर इन निर्देशों का क्रियान्वयन कलेक्टर के मार्गदर्शन में DRCS/ARCS खाद्य अधिकारी तथा डी.एम.ओ. द्वारा सुनिश्चित किया जावे ।
5. यथासंभव पुराने बोरो का भंडारण समिति स्तर पर सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, चूंकि इनका अंततः उपयोग समिति स्तर पर ही होना है। किंतु मार्कफेड द्वारा भी आवश्यकतानुसार पुराने बोरो के संग्रहण/ एकत्रीकरण हेतु उपयुक्त स्थानों पर बारदाना संग्रहण केन्द्र की स्थापना की जावे, जहां से पुराने बोरो खरीदी केन्द्रों को प्रदाय किए जाएंगे ।
6. राशन दुकानों को जारी प्रतिमाह राशन आबंटन को ध्यान में रखते हुए राशन वितरण के पश्चात बचत बारदानों का आकलन कर लिया जावे । बचत बारदानों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए उचित मूल्य दुकानों में स्थान की उपलब्धता बनाये रखने हेतु बारदानों का समयानुसार उठाव कराकर बारदाना संग्रहण केन्द्रों में/समितियों में (स्थान की उपलब्धता अनुसार) भण्डारण कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे ।
7. संग्रहण केन्द्रों/समिति में पीडीएस के एकत्रित पुराने बारदानों के सुरक्षित रखरखाव हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जावे ।
8. मार्कफेड द्वारा पीडीएस के बारदानों की प्राप्ति, वितरण, भुगतान इत्यादि के संबंध में सॉफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार प्रावधान एन.आई.सी. के सहयोग से किया जावे ।
9. राशन दुकानों से प्राप्त बोरो पर केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित उपयोगिता शुल्क प्रदाय किया जावेगा ।
10. मार्कफेड द्वारा पीडीएस बारदानों की व्यवस्था के संबंध में समुचित दिशा-निर्देश प्रसारित किया जावे ।

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग

कार्यालय नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती भवन, खण्ड-ब, तृतीय तल, नया रायपुर फोन एवं फैक्स 0771-2510274
Email-clm.cg@nic.in

क्र. /विमा/धान खरीदी/2017
प्रति,

रायपुर दिनांक 08.2017

प्रबंध संचालक,
राज्य सहकारी विपणन संघ
छत्तीसगढ़ रायपुर।

विषय:-धान खरीदी तथा संग्रहण केन्द्रों के बांट-माप के ऑनलाइन सत्यापन के संबंध में।
संदर्भ:-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा दिनांक 11.08.2017 को आयोजित बैठक
में दिए गए निर्देश।

उपरोक्तानुसार अनुरोध है कि खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 के संदर्भ में धान
उपार्जन/संग्रहण केन्द्रों में उपयोग में लाए जाने वाले बांट-माप तथा तौल यंत्रों के
सत्यापन के संदर्भ में कुछ दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया
जाना है:-

01. प्रदेश के सभी उपार्जन केन्द्रों/संग्रहण केन्द्रों पर उपयोग में लाये जा रहे
बांट-माप के सत्यापन के लिए अब ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जाएंगे, जिसके
लिए विभागीय वेबसाइट www.legalmetrology.cg.nic.in में व्यवस्था प्रारंभ
कर दी गई है, इसके लिए यह आवश्यक है कि (1) प्रत्येक उपार्जन/संग्रहण
केन्द्रों द्वारा बांट-माप के सत्यापन का निर्धारित शुल्क ई-चालान के माध्यम से
खाद्य विभाग के अंतर्गत नापतौल के विभागीय शीर्ष 1475-00-106-0000 में जमा
करनी होगी। (2) ऑनलाइन आवेदन के पूर्व केन्द्र प्रभारी द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षक से
संपर्क कर पिछले सत्यापन की तिथि एवं अधिकृत मोबाइल नंबर की प्रविष्टि
backlog entry में करवाना होगा। जिससे आवेदक को उक्त मोबाइल नंबर पर
User Id & Password प्राप्त हो सकेगा, जिसके आधार पर आवेदन की
प्रविष्टि की जा सकेगी। (3) आवेदन के पश्चात् निरीक्षक विधिक मापविज्ञान द्वारा
उपकरणों के भौतिक सत्यापन की निर्धारित तिथि को केन्द्र प्रभारी निर्धारित स्थान
पर उपस्थित रहकर अपने बांट-माप का सत्यापन संपादित करवाएंगे, इस प्रक्रिया
के लिए 03 दिवस की समयबाधि निर्धारित है। (4) निरीक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन
की रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के 48 घंटे के भीतर बांट-माप के सत्यापन का
प्रमाणपत्र संबंधित सहायक नियंत्रक द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध करा दिये जायेंगे,
जिसे केन्द्र प्रभारी डाउनलोड कर सकेंगे।
02. प्रत्येक खरीदी केन्द्रों पर 20 किलोग्राम वजन का एक सत्यापित टेस्ट वेट रखा
जावे, ताकि तौल प्रक्रिया की आकस्मिक जांच सुनिश्चित की जा सके।
03. यह आवश्यक है कि उपार्जन केन्द्रों पर उपयोग में लाये जा रहे बांट एवं तौल
यंत्र, विधिक मापविज्ञान निरीक्षक, के द्वारा विधिमान्य रूप से सत्यापित एवं प्रमाणित

- हों। यहां पर अवगत कराया जाना उचित होगा कि बांट माप का सत्यापन 24 माह की कालावधि में कम से कम एक बार कराया जाना आवश्यक होता है, जबकि स्वचालित तौल उपकरणों जैसे- इलेक्ट्रॉनिक वेईंग मशीन एवं धर्मकांटे (वेब्रिज) के सत्यापन की कालावधि 12 माह निर्धारित है। अतः ऐसे उपकरणों का सत्यापन वर्ष में एक बार कराया जाना अनिवार्य होता है।
04. यह भी देखना होगा कि लगातार उपयोग में लाए जाने के कारण अनेक बांट माप एवं तौल यंत्रों की क्षमता प्रामाणिक स्थिति में नहीं रह पाती है, अतः ऐसे उपकरणों को उपयोग के पूर्व विभाग के निरीक्षकों के माध्यम से पुनः सत्यापन एवं प्रमाणित किया जाना आवश्यक हो जाता है।
05. उपार्जन केन्द्र पर निरीक्षक विधिक मापविज्ञान द्वारा जारी किये गये सत्यापन प्रमाणपत्र, सहज एवं दृष्टिगोचर स्थान पर आवश्यक रूप से प्रदर्शित किये जावें, जिन्हें विक्रेता किसान आसानी से देखकर उपकरणों की सत्यता को लेकर सुनिश्चित हो सकें।
06. संग्रहण केन्द्रों में केन्द्र प्रभारी एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के कर्मचारियों के साथ समिति से आने वाले धान का समय-समय पर रैंडम तौल निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान के साथ किया जावे, ताकि तौल प्रक्रिया में पारदर्शिता लक्षित हो।

उपरोक्तानुसार आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्देशों का उपार्जन तिथि के पूर्व प्रभावी रूप से अमल करवाना सुनिश्चित करेंगे।

1
/ नियंत्रक
विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़
नया रायपुर

रायपुर दिनांक 16/8/2017

16 AUG 2017 क्र. 1865 /विमा/धान खरीदी/2017
प्रतिज्ञिपि :-

01. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की ओर दिनांक 11.08.2017 को उपार्जन की कार्य योजना की बैठक में दिये गये निर्देश के परिपालन में सूचनार्थ।
02. समस्त जिला विपणन अधिकारी, राज्य सहकारी विपणन संघ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. समस्त सहायक नियंत्रक विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
04. समस्त निरीक्षक विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ वे धान खरीदी के पूर्व संबंधित उपार्जन केन्द्रों/संग्रहण केन्द्रों के समस्त बांट माप का सत्यापन कर सुनिश्चित करें।


नियंत्रक
विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़
नया रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
// मंत्रालय //
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर

क्रमांक एफ 4-15/2018/29-1/पार्ट (VII) अटल नगर, दिनांक 6/08/2019
प्रति,

प्रबंध संचालक,

छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय: खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में धान उपार्जन केन्द्रों में डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों के नियोजन के संबंध में।

संदर्भ: (1) इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक 4-21/2012/29-1(1)/खाद्य/2742
दिनांक 23.10.2017

(2) आपका ज्ञापन क्रमांक लेखा/विप./MKTG/18-19/33/1053 दिनांक
31.05.2019 एवं क्रमांक/स्था.वि./एफ 16-02/1450/2019 दिनांक
25.06.2019

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापनों का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित ज्ञापन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 हेतु समिति स्तर पर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रखे जाने हेतु समय सीमा का निर्धारण करने एवं खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के लिए बाह्य एजेंसी से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर नियोजन किये जाने के संबंध में, शासन स्तर से आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।

2/ खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 की धान खरीदी नीति दिनांक 30.08.2018 की कड़िका 10.2.3 में उल्लेखित प्रावधान के संबंध में, विभागीय ज्ञापन दिनांक 14.09.2018 में उल्लेखित अनुसार राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

“खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में सहकारी समितियों में धान उपार्जन कार्य के लिए डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों का नियोजन बाह्य एजेंसियों के माध्यम से किये जाने के निर्णय को एक वर्ष के लिए स्थगित रखते हुए डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों का नियोजन समितियों द्वारा किया जाए एवं इस पर आने वाला व्ययमार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को हानि प्रतिपूर्ति मद के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा प्रदाय किया जाए।”

// 2 //

3/ अतः उक्त संदर्भित ज्ञापन क्रमांक (2) के परिप्रेक्ष्य में, आदेशानुसार प्रकरण में पूर्व की भांति खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 हेतु डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को 9 माह हेतु कार्य पर रखा जावे तथा खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 हेतु भी उपरोक्तानुसार व्यवस्था बनाए जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

K.K. Gopuram
(के.के.गोतम)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग

पृष्ठा.क. एफ 4-15/2018/29-1/पार्ट (VII) अटल नगर, दिनांक/6/08/2019


प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, खाद्य विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
2. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संर.संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर।

K.K. Gopuram
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग

File No. 192(14)/2018-FCA/cs



No. 192(14)/2018-FC A/cs
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
Department of Food and PD

11/09/19
13-05-1

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated 06/08/2019

- To,
1. The Principal Secretary/Secretary
All State Governments/UTs
 2. The CMD, FCI, New Delhi.

Subject : Principles on transportation charges of paddy/CMR and wheat from KMS 2019-20 onwards in DCP (including Central Pool) & Non-DCP States regarding.

Sir,

With a view to simplifying the existing principles on transportation charges for paddy, CMR and wheat in the DCP(including Central Pool) and non-DCP States by harmonising them with the practical challenges faced by the agencies carrying out these operations, in supersession of the existing principles for the fixation of transportation charges for finalization of economic cost of paddy /Rice and Wheat, the following guidelines are issued to come into effect from KMS 2019-20 onwards:

I. There shall be a State Level Committee (SLC) with the State Food Secretary concerned as the Chairperson and ED, FCI and GM/FCI in-charge of the state concerned, two District Collectors from any of the procuring districts, and an officer from State Transport Department not below the rank of Deputy Secretary level officer as members.

II. For every state, a Schedule of Rates (SoR) for transportation charges shall be finalized by the SLC based on market survey. The SoR shall remain in force for a maximum of two years.

III. Competitive bidding, preferably through e-tendering, is to be done for finalizing transportation rates at the district level.

IV. The SLC shall examine the transportation rates finalised by the districts with reference to the SoR and decide the acceptability of the rates, taking into account the provisions of GFR. In the cases where the rates accepted show a major deviation from the SoR, the reasons for acceptance or rejection must be recorded in the minutes of the meeting of the SLC.

V. In case, there is a difference of opinion between State and FCI representatives in the SLC on the admissibility of the transportation charges for a district or more than one district, the matter shall be referred to CMD, FCI for decision, which must be communicated within two weeks of receiving the reference; and the decision of CMD, FCI shall be final.

VI. All the districts across the states shall follow uniform distance slabs: from 0 upto 8 kms, from 8 upto 20 kms, from 20 upto 40 kms, from 40 upto 80 kms and above 80 kms

क्रमांक. 410
दिनांक. 06/08/2019
सचिव, खा. मा. आ. एवं उ. मं. विभाग

SS
LUP
12/11/19

12/11/19
me

FS (LUP)

Y.S.

16/11/19

क्रमांक. 617
संलग्न सचिव / खा. मा. आ. एवं उ. मं. विभाग / 20

क्रमांक. 267
विशेष सचिव / खा. मा. आ. एवं उ. मं. विभाग / 2019

VII. The SLC shall finalise the standard bid document for the fixation of transportation charges, to be followed by all the districts in the State.

VIII. FCI should strive to ensure that the bidding document for the fixation of transportation charges is standardised across the States; and should also undertake a review of the state-wise transportation charges at the end of every marketing season.

IX. The principles mentioned above shall be applicable to the transportation of paddy from procurement centres to the rice mills, and of CMR from rice mills to the storage points, and of wheat from procurement centres to the storage points at the acquisition stage. At the distribution stage, these rates will be applicable for transporting CMR and wheat from storage points to the designated depots of the State only.

2. This issues with the approval of Hon'ble Minister for CAF&PD.

Yours faithfully,

Signature Not Verified
Digitally signed by V. C. SUDEESH
Date: 2018.05.02 14:24:22 IST
Reason: Approved.

(V.C. Sudeesh)

Director

Tel. No. 011-23382709

Copy to:

1. PPS to Secretary, FPD
2. PPS to AS&FA, FPD
3. PPS to Pr. Advisor(Cost)
4. PPS to JS(P&FCI)
5. PS to Director (FC Accounts)/Director(Finance & Budget)/ Director(Cost)/ Director(FCI)

राज्य के सीमावर्ती जिलों के खरीदी केंद्रों की सूची

| क्र. | जिला का नाम | उपायोजन केंद्र का नाम |
|------|---------------------|-----------------------|
| 1 | बिलासपुर | तरकेनी |
| 2 | | लालपुर |
| 3 | | सिवनी |
| 4 | रायगढ़ | जामगाव |
| 5 | | लारा |
| 6 | | अमलीपाली |
| 7 | | रेगालपाली |
| 8 | | डुलोपाली |
| 9 | | सरिया |
| 10 | | धौराभाठा |
| 11 | | झिकीपाली |
| 12 | | बडे नावापारा |
| 13 | | लुकापारा |
| 14 | | साकरा |
| 15 | | लिबरा |
| 16 | | लोईग |
| 17 | | राजनादगाव |
| 18 | कल्लु बजारी | |
| 19 | जयसिंह टोला | |
| 20 | घिल्हाटी | |
| 21 | नचनिया | |
| 22 | रामपुर | |
| 23 | बकरकट्टा | |
| 24 | बोरतलाव | |
| 25 | सड़क छिरछारी (खोमा) | |
| 26 | गरियाबंद | झाखरपारा |
| 27 | | दोरी |
| 28 | | रसेला |
| 29 | | तेतलखटी |
| 30 | | दुल्ला |
| 31 | | देवभोग |
| 32 | | उरमात |
| 33 | महासमुंद | अकोरी |
| 34 | | सिरबोडा |
| 35 | | बलीदा |
| 36 | | पटपरपाली |
| 37 | | खेमडा |
| 38 | | गढफुलझर |
| 39 | | चिंवराकटा |
| 40 | | देवरी |
| 41 | | नरी |
| 42 | | बेल्डीह |
| 43 | | जेराभरण |
| 44 | | सल्डीह |
| 45 | | परसवानी |
| 46 | | बुंदेली |
| 47 | | बाघामुडा |

[Handwritten signature]

| | | | |
|----|--------------|------------|-------------|
| 48 | महासमुद्र | कसीकेरा | |
| 49 | | कछारडीह | |
| 50 | | मुन्नगाशेर | |
| 51 | | कोमाखान | |
| 52 | | सखीपाली | |
| 53 | | टोसगाव | |
| 54 | | जंगलबेड़ा | |
| 55 | | सेमलिया | |
| 56 | | बलरामपुर | कामेश्वरनगर |
| 57 | | | घान्दो |
| 58 | भवरमाल | | |
| 59 | रामचन्द्रपुर | | |
| 60 | बसंतपुर | | |
| 61 | वाड़फनगर | | |
| 62 | जशपुर | गम्हरीया | |
| 63 | | कोनपारा | |
| 64 | | तपकरा | |
| 65 | कोरिया | दुलदुला | |
| 66 | | चैनपुर | |
| 67 | सुरजपुर | माडीसरई | |
| 68 | | नवगई | |

CS
JSF

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय,

महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक एफ 4-8/खाद्य/2014/29-2/2434
प्रति,

नया रायपुर, 04-07-2016

प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.
रायपुर

विषय:- खरीफ विपणन वर्ष 2015-16 में राज्य सहकारी बैंक तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक कार्यों के संबंध में ।

संदर्भ:- प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. रायपुर का पत्र कमांक/विप./7189/2016 दिनांक 04.03.2016

कृपया अपने संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । धान खरीदी कार्य में बैंक व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के तथा समन्वय एवं पर्यवेक्षण कार्य के रूप में सुपरवाइजिंग कार्य हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपैक्स बैंक) के प्रशासनिक कार्यों का निर्धारण क्रमशः परिशिष्ट "अ" एवं परिशिष्ट "ब" अनुसार करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।


(जी. एस. सिकरवार)

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

नया रायपुर, 04-07-2016

पृ.एफ 4-8/खाद्य/2014/29-2/2435
प्रतिलिपि -

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
2. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नया रायपुर ।
3. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, नया रायपुर ।
4. प्रबंध संचालक, अपैक्स बैंक, रायपुर ।


संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक हेतु प्रशासनिक कार्य

1. विपणन संघ द्वारा समितियों को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी राशि का ता तारीख भुगतान समितियों को कराया जावे ।
2. विपणन संघ द्वारा भंडारण एवं सुरक्षा हेतु प्रदाय राशि को समितियों को समय पर उपलब्ध कराना तथा उक्त राशि का नियमानुसार समुचित उपयोग कराकर धान/बारदानों की सुरक्षा कराना। समितियों के स्तर पर किये गये व्यय के देयकों को समिति मांडयूल में प्रविष्टि करना ।
3. उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य में धान उपार्जन कार्यों का सतत् निरीक्षण कर धान खरीदी की सभी जानकारी जिला स्तर पर संग्रहित करना एवं निराकरण करना तथा पाक्षिक जानकारी विपणन संघ को उपलब्ध कराना ।
4. उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य में उपार्जित धान के उठाव हेतु हमाल आदि की व्यवस्था की सतत मॉनिटरिंग करना ।
5. उपार्जन केन्द्रों में धान के उठाव हेतु परिवहन में आने वाले कठिनाईयों का निराकरण कर जॉनकारी उपलब्ध कराना ।
6. समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु विपणन संघ द्वारा उपलब्ध कराये गये बारदानों का सही तरीके से सुरक्षित रखरखाव सुनिश्चित कराना ।
7. समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का ता तारीख ऑनलाईन मांडयूल में ऐन्ट्री सुनिश्चित कराना ।
8. समर्थन मूल्य में उपार्जित धान की समिति स्तर या संग्रहण केन्द्र स्तर पर किस्म विवाद को जिला कलेक्टर द्वारा गठित कमेटी के माध्यम से समयावधि में निराकरण कराना ।
9. विपणन संघ द्वारा धान उपार्जन हेतु समिति को प्रदाय बारदाना में यदि समिति स्तर पर फंगस युक्त (अमानक) बारदाना प्राप्त हो तो समिति के साफ्टवेयर में प्रविष्टि कराते हुए उक्त बारदाने की सूचना जिला विपणन अधिकारी को देते हुए बारदाना की समयावधि में विपणन संघ को वापसी सुनिश्चित कराना ।
10. उपार्जन केन्द्रों में कृषकों से कय किये गये धान का समय - समय पर किस्मवार भौतिक सत्यापन कराना ।
11. कृषकों से कय किये गये धान का समय पर तौल हो एवं निर्धारित समयावधि में भुगतान की व्यवस्था कराना ।
12. समिति स्तर पर धान की खरीदी के आधार पर बारदानों की आवश्यकता का आकलन करना तथा विपणन संघ को अवगत कराया जाना ।
13. समर्थन मूल्य में उपार्जित धान की सुरक्षा हेतु पर्याप्त मात्रा में डनेज, तारपोलिन इत्यादि की व्यवस्था कराना ।
14. धान उपार्जन की पूर्णता उपरांत समितियों में शेष बारदानों की वापसी इस संबंध में राज्य शासन/विपणन संघ द्वारा निर्धारित नियमानुसार वापसी सुनिश्चित कराना ।
15. धान उपार्जन एवं निराकरण उपरांत राज्य शासन/ विपणन संघ द्वारा निर्धारित समयावधि में विपणन संघ को प्रदाय किये गये स्कंध, प्राप्त राशि एवं बारदाना आदि संबंधित संव्यवहारों का मिलान पूर्ण कर संयुक्त हस्ताक्षरित मिलान पत्रक विभाग द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना होगा ।



छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) हेतु प्रशासनिक कार्य

1. अपेक्स बैंक द्वारा धान खरीदी के पूर्व तैयारियों के अंतर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं संबद्ध समितियों /उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी से संबंधित समस्त आवश्यक व्यवस्थायें, जिसके संबंध में राज्य शासन/ विपणन संघ द्वारा निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार पूर्ण करना सुनिश्चित किया जावे एवं तदाशय का प्रमाण पत्र विपणन संघ को उपलब्ध कराया जावे ।
2. प्रदेश के समस्त जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को विपणन संघ द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि के भुगतान का बैंकवार एवं समितिवार जानकारी उपलब्ध कराना ।
3. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को विपणन संघ द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि का समितियों में वास्तविक धान खरीदी के अनुपात में राशि का अंतरण ता-तारीख कराया जाना सुनिश्चित करें तथा मासिक भुगतान प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे ।
4. विपणन संघ द्वारा भंडारण एवं सुरक्षा हेतु प्रदत्त राशि का शासकीय नियमानुसार अथवा स्वीकृत निविदा आधार पर समुचित उपयोग सुनिश्चित कराना तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के माध्यम से उक्त कार्य का प्रमाणीकरण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।
5. समर्थन मूल्य में धान उपार्जन कार्यों की सतत निरीक्षण हेतु टीम गठित कर उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी की सतत मानिट्रिंग कराकर पाक्षिक/मासिक जानकारी विपणन संघ को उपलब्ध कराना ।
6. धान उपार्जन/निराकरण के संबंध में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से समन्वय कर समितियों से संबंधित समस्त जानकारी निर्धारित प्रारूप में दैनिक आधार पर संकलित कर उपलब्ध कराना ।
7. समिति स्तर पर आने वाली समस्याओं जैसे - उपार्जन केन्द्रों /समितियों में धान के त्वरित उठाव हेतु परिवहन व्यवस्था की मानिट्रिंग करना एवं समिति के बफर लिमिट से अधिक धान का परिवहन हेतु शासन /विपणन संघ द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत समुचित कार्यवाही सुनिश्चित कराना ।
8. धान उपार्जन हेतु समितियों में आवश्यक बारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सतत मानिट्रिंग कर समितियों को प्रदत्त बारदानों का उचित रखरखाव एवं धान की सुरक्षा हेतु आवश्यक डनेज एवं कैप कव्हर आदि की व्यवस्था गठित टीम के माध्यम से सुनिश्चित कराना ।
9. राज्य शासन/विपणन संघ द्वारा निर्धारित मॉड्यूल अनुसार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं समितियों में धान उपार्जन एवं राशि प्रदाय से संबंधित संव्यवहार/जानकारी की ऑनलाईन मॉड्यूल में प्रतिदिन एन्ट्री सुनिश्चित कराना तथा मासिक प्रतिवेदन विपणन संघ को प्रस्तुत करना ।
10. अपेक्स बैंक द्वारा टीम गठित कर धान उपार्जन के प्रारंभ से समिति स्तर पर अंतिम रूप से प्रतिवेदित उपलब्ध स्कंध का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराना, जिसमें प्रारंभिक खरीदी के प्रथम एवं अंतिम प्रतिवेदित स्कंध का सत्यापन अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त निराकरण अवधि में न्यूनतम मासिक आधार पर सत्यापन किया जाना आवश्यक होगा । किये गये सत्यापन का प्रतिवेदन की प्रति विपणन संघ को उपलब्ध




कराना होगा । यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो विशेष प्रतिवेदन जिला कलेक्टर, विपणन संघ एवं राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाना होगा ।

11. धान उपार्जन उपरांत समितियों में शेष बारदानों को विपणन संघ के संबंधित जिला कार्यालय में वापसी की कार्यवाही गठित टीम एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के नियंत्रण एवं समन्वय में राज्य शासन / विपणन संघ के नियमानुसार वापसी सुनिश्चित कराना ।
12. अपेक्स बैंक द्वारा समितियों में उपार्जित धान के निराकरण उपरांत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं समितियों द्वारा विपणन संघ को प्रदाय किये गये स्कंध, प्राप्त राशि एवं बारदाना आदि से संबंधित सव्यवहारों का मिलान राज्य शासन/विपणन संघ द्वारा निर्धारित समयावधि एवं प्रारूप में कराये जाने की कार्यवाही पूर्ण कराकर संयुक्त हस्ताक्षरित मिलान पत्रक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना होगा ।



खरीफ वर्ष 2021-22 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अवधि के दौरान COVID-19 से बचाव हेतु धान खरीदी केन्द्रों पर निम्नानुसार SOP का पालन किया जावे :-

1. खरीदी केन्द्रों में भीड़ इकट्ठा न हो इसे ध्यान में रखते हुए किसानों से टोकन व्यवस्था के माध्यम से धान की खरीदी किया जावे । इसके लिए किसानों को धान खरीदी के पूर्व खरीदी केन्द्र की दैनिक क्षमता एवं व्यवस्था अनुसार टोकन जारी किया जावे । किसानों को SMS के माध्यम से भी आवश्यकतानुसार सूचित किया जावे । टोकन सिस्टम की नियमित मॉनिटरिंग की जावे ।
2. खरीदी केन्द्र पर केवल टोकन प्राप्त किसानों से ही उपज की तौल की जाए, ताकि केन्द्र पर अधिक भीड़ न हो, इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए ।
3. खरीदी केन्द्र में कोरोना से बचाव हेतु आवश्यक सावधानियों का पोस्टर/बैनर/दिवाल लेखन के माध्यम से प्रदर्शन किया जावे । खरीदी केन्द्र प्रभारी द्वारा किसानों को कोविड-19 से बचाव हेतु प्रोत्साहित किया जावे एवं आवश्यक समझाईश दी जावे ।
4. खरीदी केन्द्र में सोशल एवं फिजीकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखा जावे ।
5. मास्क का उपयोग किया जावे ।
6. धान खरीदी से संबंधित सभी जगहों पर हाथ धोने हेतु साबुन एवं पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जावे ।


(टोपेश्वर वर्मा)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग